[Shri B. Satayanarayan Reddy]

ings in Sri Lanka, is the Government of India going to review thiis agreement? I do not know whether the Government of India is reconsidering that agreement.

So far as the problem of Tamil minority is concerned, there are two types of people in Sri Lanka. One is Tamils who are citizens of Sri Lanka. There are others who have settled down in Sri Lanka though they are not the citizens of Sri Lanka. How is the Government of India going to solve this problem? There are stateless people who have no citizenship either of India or of Sri Lanka. This problem is also to be tackled. I would like to know from the Government of India three things. How long are they going to wait for the solution of this problem? What are the concrete suggestions that the Government of India is going to give to the Government of Sri Lanka? Is the Sri Lankan Government prepared to have a dialogue with the All-Party Conference people? Is the Sri Lankan Government desirous to take the help of the Indian Government or are they only interested in prolonging the matter and playing in the hands of foreign powers? Are the foreign powers preparing to have a base roundabout Sri Lanka? These are some of the questions. At the same time, I would also like to know what serious efforts are being made to solve this tragic problem once for all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): We shall now take up the Sugar Undertakings Bill. Special Mentions will be taken up later. Reply to Calling Attention will also be given later.

I. Statutory Resolution Seeking disapproval of The Sugar Undertakings (taking over of Mangement) Amendment, Ordinance, 1984 (No. 14 of 1984).

II. The Sugar Undertakings (taking over of Management) Amendment Bill, 1985—Contd.

SHRI V. RAMANATHAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all I welcome this Sugar Undertakings Amendment Bill because it has been brought here to help the agriculturists. I would like to know whether investigation is made subsequent to the taking over of the factories. If the factories were showing loss records, then we should know whether the factories have been running a proper condition. We should know whether they are paying to the agriculturists properly, whether they are giving the agriculturists the amount that they are entitled to. To know that, we must investigate whether the factories are running properly, whether they are maintaining the accounts and the data properly. We must find out all these.

[The Vice-Chairman (Shri Ashwani Kumar) in the Chair]

Sir, there are so many ways of showing the losses. First of all, they are not exploiting the sugar potentiality. They are showing an industrial loss upto 2.6 per cent whereas the industrial loss will not exceed generally 2 per cent. In the case of molasses also, they give 30 to 40 per cent whereas actually it will not exceed 20 per cent. There is the late crushing also which leads to a loss in the sugar recovery. All these facts they are giving to show a loss. And according to their accounts and data, they show that they are running on a loss. But actually they are giving false figures. Sir, the sugarcane price is fixed this year at Rs. 140 for 8.5 per cent recovery. If they are able to show a lesser recovery or a recovery of less than 3.9 they can give a lesser amount to the canegrowers. They are manipulating the accounts. They are giving false data as if the sugarcane is giving a recovery of 8.5. per cent or 8.6 per cent. And there is no agency is go to the factories and find out as to what is the actual recovery. The recovery is not measured by any other agency except the factory authorities themselves. In the private factories, they are manipulating the records. There

is no agency and no technically-qualified person is deputed from the Government for making a check in the factory premises. No technical person is appointed for that purpose. No daily report of the production is given by the factory. The daily-production reports are given by the private factories after a month or sometimes even after two months. And the stock position is also not given daily. As a result of this, Sir, they are in an advantageous position to prepare false records. They can also dispose of some of the sugar manufactured by them through some illegal means. Several thousands of bags in certain factories are disposed of in an improper way. There is no technical agency to check it. Even the Commercial Tax people are helping them in this. With the connivance of the officials there, these shady things are going on. There is no agency to find out as to what is the actual production of sugar. They are producing a lot of sugar. They are making a lot of black money and they are giving false accounts. And at the same time they are showing a loss account. They are making very poor payments to the growers. For example, Sir, the Kavery Sugars was taken over by the Government. In 1979-80, it was showing a recovery of only 7.85 per cent whereas in 1983-84 after the management was taken over by the Government, this is showing 9.5 recovery. when it was under the private management, it was giving only 7.85 recovery. After the taking-over, it is giving 9.5 recovery. In my humble submission, the other factories have also been doing the same thing. Though they are producing a lot of sugar, they are giving lesser amounts to the growers. To cheat the Government to avoid the taxes, to make black money they are doing all this Agriculturist must get his share to which he is entitled. I would plead with the Government to take over all the privately-owned factories and hand over to the agriculturist cooperative sector. Let the benefit go to the agriculturists so that no factory can show any loss. Sir, they are purchasing sugarcane at the rate of Rs. 140 and Rs. 160 and selling bagasse and sugar after taking a profit of 100 per cent. They are selling bagasse to paper industry; they are selling molasses and all other by products and minting money. Not only they are minting money by getting so much profit, they are showing false accounts and showing loss to the factory. Therefore, I request the hon. Minister to take over all the privately-owned factories and give them to joint cooperative sector. With this suggestion I conclude and support the Bill.

श्री रामानंद यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं कुछ सुझाव सरकार को किसानों के हक में देना अच्छा समझता हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी कृपा करके मेरे सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे।

ऐसा जनरली देखा जाता है कि सरकार मिलों का अधिग्रहण तब करती है जब मिल-मालिक मजदूरों का पैसा नहीं चुकाता है, बाकी लगा रहता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) किसानों का भी।

श्री रामानन्द यादव : आपने तो अपने टाईम में इतना नुकसान कर दिया जिसका हिसाब नहीं, गन्ना तक जलाना पड़ा था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : हमेशा एक ही बात नहीं कहा करते।

श्री रामानन्द यादव: आप काहे को बीच में बोलते हैं फिर जब यह मिल-मालिक किसानों के एरियर, गन्ने के पैसे नहीं देते हैं, सरकार अधिग्रहण तब करती है जब मिल-मालिक करोड़ों-करोड़ों रुपया फाइनेंशल इंस्टिट्यूशनल बैंक्स जो हैं हमारे विभिन्न तरह के उनसे पैसा ले लेते हैं, कुछ तो पैसा लेते हैं आधुनिकीकरण के नाम पर और मिलों का आधुनिकीकरण नहीं करते हैं और कभी-कभी तो सरकार अधिग्रहण इसलिए भी करती है चूंकि मिल घाटे में रन करने लगती है और सिफारिश हो जाती है, तब कर लेती है। अधिग्रहण करके सरकार जब मजदूरों के पैसे का

[श्री रामानन्द यादव]

मेंट कर देती है, किसानों के बकाया पैसे को चुकता कर देती है, बैंकों के पैसे को चुकता कर देती है, पैसा जो कर्ज में मिल पर रहता है या जो विभिन्न कर्ज रहते हैं जिस मिल को अधिग्रहण किया था उसको माडर्नाइजेशन कर देती है, तो फिर सोचने लगती है कि इस मिल को लौटा दिया जाए।

इस पद्धति को मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इसे बंद कर दे और नये सिरे से इस मुद्दे पर सोचे कि कब इनका अधिग्रहण करना चाहिये और अब इस पालिसी में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज क्या है, स्थिति यह है कि यह मिल वाले किसानों के करोड़ों रुपया बकाया रखे हुए हैं। 1966 में एक शगर कंट्रोल एक्ट बना जिसके माध्यम से यह तय हुआ था कि जो मिल-मालिक किसानों का पैसा चौदह दिन के अंदर नही देगा उसको इन्टरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा पैसा, उस पर मुकदमा चलाया जायेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हू कि केन एरियर्ज का किसानों का उन्होंने पेमेंट नहीं किया। मैं प्राइवेट फैक्टरी के विषय में नहीं कहता, उस पर मैं बाद में कहूंगा। मैं कोआपरेटिव फैक्टरीके विषय में नही कहूंगा, स्टेट कार्पोरेशंज के बारे में भी नही मैं आपने जो 8 मिल ली हैं और करोड़ों रुपया बाकी लगाकर रखा है, मैं कहना चाहता हू कि क्या इस एक्ट का आपने पालन किया है, इस एक्ट के मातहत आप इस सदन को बताएं कितने और किसानों के एरियर पर आपने इन्टरेस्ट दिया है, क्योंकि एक्ट में प्रोविजन है कि 15 परसेंट उस एरियर पर 14 दिनों के अन्दर अगर पेमेंट नही होगा तो आपको देना होगा। आपने दिया है या नही, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं? मान्यवर, बिहार के सूगर मिल हैं, जो आज भी कोआपरेटिव सैक्टर में हैं, स्टेट सैक्टर के अन्दर जो कार्पोरेशन हैं, उनके अन्दर हैं, ये लोग किसानों को पैसा चुक्ता नही किए हैं. प्राइवेट सैक्टर वालों ने भी किसानों का एरियर रखा है। आपने एक वेज एन्ड मीन्ज का रास्ता निकाला, सिस्टम निकाला कि आपके सैन्ट्रल गवर्नमेंट से विभिन्न सरकारें पैसा लें और उससे किसानों के एरियर चुक्ता कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 40 करोड़ रुपया लिया, बिहार की सरकार ने केवल 5 करोड़ रुपया लिया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, आज भी बिहार के किसानों को एरियर के पैसे जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट कार्पोरेशन बनाकर जिन मिलों को चलाती है, उन्होंने भी नहीं चुकता किया है इन्टरेस्ट की तो बात छोड़ दीजिए और बहुत सी मिलें चल नही रही हैं। सैन्ट्रल गवर्नमेंट को बिहार सरकार ने लिखा है कि मैं वेज मीन्स के अन्दर नहीं लूंगा, मुझे लोन दीजिए आप 13 परसेंट के हिसाब से मैं चुकता कर दूंगा। अक्तूबर महीने मे बिहार सरकार ने आपको एक पत्र लिखा है जिसमें उसने प्लीड किया है कि आप हमें लोन दीजिए 13 परसेंट के रेट मे हम लोग चुकता कर देंगे। तो उसका आपने क्या किया है? यह मैं जानना चाहता हूं। मान्यवर, आपने तो मिल को अर्थात भारत सरकार ने इन मिल मालिकों को कहने को कन्सैशन दिया है, लेकिन किसान जो है, ग्रोअर जो है। उसको कोई कन्सैशन नही दिया है, वह बेचारा तबाह है, परेशान है कन्सैशन क्या देती है भारत सरकार लिबरल ढंग से बैंकों से क्रैडिट दिलवाती है, अपनी जिम्मेवारी पर और दूसरा क्या करती हैं बफर स्टाक मेनटेन करती है। अगर हंड्रेड परसेंट बैंक क्रेडिट एवेलेबिलिटी पर आप जरा सोचिए यह कितना बड़ा कन्सैशन है और इतना ही नहीं मन्थली रिलीज का जो फ्री सेल है उसको बढ़ा दिया है। अब वह जो फ्री सेल है उसके कोटा में भी 35 परसेंट हम लोग 65 परसेंट तो आपके लेवी सूगर था 35 परसेंट था अब सूगर मैगनैटस डिमांड कर रहे हैं कि 35 परसेंट से बढ़ाकर 40 परसेंट कर दीजिए। सरकार अनेक तरह से उनकी मदद करती है, लेकिन किसानों का जब सवाल होता है कि साहब उनका एरियर प्राइवेट मिल वालों से दिलवा दीजिए, नहीं दिलवा पाती है। केन सीजन अक्तूबर महीने से शुरू होता है। मान्यवर आपको जानकार ताज्जुब होगा कि बिहार राज्य में तकरीबन 29 शुगर फैक्ट्रीज थीं।

उसमें से 7–8 बंद हो गई है और अभी केन क्राशिंग सीजन होने के कारण दिसम्बर महीने में जो शुरू होने वाली मिल थी, यह दालमियां जैन की फैक्टरी है दो सिवान जिले में, गोपालगंज जिले में हथवा सुगर मिल, ऐस० के० जी० सिवान सुगर मिल, पचौखी मिल, न्यू सिवान शगर मिल, ये सारी की सारी बंद हो गई हैं। किसानों के गन्ने इस साल कहां जाएंगे। किसान तबाह है, मान्यवर, वह परेशान है। मैंने इस प्रश्न को एक बार उठाया था और माननीय मंत्री जी, उस वक्त यही फूड मिनिस्टर थे। इन्होने बड़ी मुस्तैदी के साथ बिहार सरकार को लिखा कि आप इसको टेक ओवर कीजिए और चलाइए और इनके प्रयास से बिहार सरकार ने प्रयास किया। सूकिन फल क्या निकला? आज भी किसानों के पांच–पांच साल के रुपए बाकी हैं, जो प्राइवेट मिल वाले नहीं दे रहे हैं, कोआपरेटिव सेक्टर के नहीं दे रहे हैं, यह स्टेट सेक्टर के हैं, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। इससे किसान आज तबाह है, परेशान है। अब मैं सरकार से और मंत्री जी से चाहूंगा, क्योंकि मंत्री जी खुद एक किसान है, वह किसान की मजबूरी समझते हैं, तो जल्दी से जल्दी उनको पेमेंट कराएं तथा इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कराने की व्यवस्था करें। आपने पिछली दफे जब कभी हम इस प्रश्न को उठाते थे; आपने इंटरेस्ट लिया, सरकार को लिखा। मैं आपसे आग्रह करुंगा कि आप बिहार सरकार को एक पत्र लिखिए कि हथिया सिवान सुगर मिल, जो डालमियां जैन की है, दो सुगर फेक्टरी बंद कर दी और डालमियां नगर का जो इंडस्ट्रियल कांपलेक्स है, उसको बन्द करके करीबन 40 हजार मजदूरों को आज भूखों मार रहा है। उसके जैसा क्रिमिनल आदमी इस हिन्दुस्तान के कोने-कोने में खोजने पर भी, लालटेन लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, ऐसा क्रिमिनल पूंजीपति कहीं नहीं मिलेगा। उस आदमी को आप अरेस्ट कीजिए, उसको जेल में बंद करना चाहिए। आज 50 हजार मजदूर डालमियां नगर के बेकार पड़े हैं, करीबन 8-9 हजार आदमी सुगर फैक्टरी के बेकार पडे हुए हैं और तबाह है। अब किसान गन्ना बो करके क्या होगा, उसका गन्ना जलाया जाएगा और फिर क्या होगा? इलेक्शन नजदीक आ रहा है। हम तबाह हो जाएंगे।

मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही कीजिए। आप किसानों के दुख समझने वाले हैं, आप इसको समझिए। **(समय की घंटी)** . .

मान्यवर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप-टू-डेट बनाने के लिए अपने फंड से पैसा इंवेस्ट किया है इन आठ मिलों में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह जो आठ मिलें आपने अपने अंडर ली हैं, इसमें अब तक कितना पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी का इन्वेस्ट किया है और इन आठ मिलों से आपको कितना मुनाफा हुआ है? क्या यह आठों मिलें मुनाफे में चल रही हैं? अगर नहीं चलती हैं तो क्यों नहीं चलती हैं?

आपने जो रिसीवर बहाल किया है। मैं इसी सदन में एक बार कह चुका हूं, मान्यवर कि एक आदमी ने लकड़ी खरीदने पर, ऐसी कौन मिल है, मुझे याद नहीं है, करीबन पांच-छह या सात लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया और उसी तरह से यह रिसीवर जो हैं, इतने करप्ट है, जिनका कोई हिसाब नहीं।

मैं एक बात महोदय कह दूं कि मेरा सुगर ग्रोइंग एरिया है। एक सज्जन मेरे पास आए और कहा कि मुझे किसी फेक्टरी, केन कारपोरेशन का मेम्बर बनवा दीजिए और फिर आप लोगों को चिता करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन आ रहा है। हम लोग पैसे से आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा—कहां से मदद करोगे, भाई? तो कहा—आप नहीं जानते हो। मैं बीस वर्ष फेक्टरी में रहा हू, जानता हूं, कैसे कमाया जाता है। तो मान्यवर, जो रिसीवर बहाल करते है, उनके ऊपर जरा निगरानी रखिए। आपकी काफी इज्जत है और आप ईमानदार आदमी हैं, जरा कड़ाई से काम

[श्री रामानन्द यादव]

लीजिए। करोड़ों का यह व्यय करते हैं परचेजिंग पर, जो मेटेरीयल खरीदते हैं फैक्टरी को चलाने के लिए, उस पर इसे आप देखिए। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि क्या आपकी यह आठों मिलें अब तक चालू हुई हैं या नहीं ? इस विषय में आप हम लोगों को जरा जानकारी दे दीजिए . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री अश्विनीकुमार) : कृपया जल्दी से समाप्त करें . . . .

श्री रामानंद यादव : जी हां, जी हां। मान्यवर, मैं आपसे यह चाहूंगा कि यूनीफार्म पालिसी एडाप्ट कीजिए केन के संबंध में। केन प्राइस जब आप अनाउन्स करते हैं तो वेरियस फैक्टर्स को एनालाइज नहीं करते। आप ब्यूरोक्रेसी पर विशेष विश्वास कर जाते है, जन प्रतिनिधियों पर कम विश्वास करते हैं। आप गन्ना भी बोते हैं, गेहुं भी बोते है, मैंने आपके घर पर गेहुं का अम्बार देखा है, आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर का दाम बढ़ गया, इर्रिगेशन का बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ गया, लोहे का बढ़ गया, ट्रैक्टर का बढ़ गया, हर चीज की कीमत बढ़ गयी। लेकिन आपने किसान की ईख का दाम क्या लगाया ? क्या आपने सोचा है कि पर एकड़ ईख किसान जो बोता है उस पर कितना खर्चा पड़ता है। उसको 7-8 सिंचाई करनी पड़ती हैं। किसी-किसी स्टेट में बीस सिंचाई करनी पड़ती हैं हमारी जैसी स्टेट में चार-पांच सिंचाई हो जाती हैं जहां भूमि नम है, लेकिन दूसरी स्टेट में बीस सिचाई करते हैं। हमारे यहां इल्ड कम है। तो मैं चाहूंगा कि जब गन्ने की कीमत तय करें तो जिन और चीजों की कीमत बढ़ी हुई है, जिनको खरीदकर किसान को ईख की खेती करनी पड़ती है उसका भी कन्सीडरेशन होना चाहिए - आपने एनाउन्स की अभी ईख की प्राइस। हरियाणा गवर्नमेंट ने अलग एनाउन्स कर दी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अलग कर दी, बिहार की गवर्नमेंट ने अलग कर दी। मैं चाहूंगा कि केन बोने के पहले आप केन प्राइस निश्चित कर दीजिए, अक्तूबर से पहले क्योंकि अक्तूबर महीने से किसान केन का कल्टीवेशन शुरू करता है कि केन की प्राइस यह होगी, किसान को मंजूर होगा तो ईख की खेती करेगा, नहीं मंजूर होगा तो नहीं करेगा, दूसरी फसल बोयेगा। यह एक पोलिसी आप निर्धारित कर दीजिए।

और एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन को भी आप रिकांस्टीट्यूट कीजिए और यह देखिए कि उस में नये सिरे से किसानों के प्रतिनिधि आने चाहिएं, उसमें इकानोमिस्ट लोग रहें और जो जन प्रतिनिधि हैं, पार्लियामेंट के मेम्बर हैं उनको भी एसोसिएट कीजिए क्योंकि हम लोग देहातों से आते हैं अपनी आंखों से देखते हैं किस तरह से किसानों को परेशानी उठानी पड़ती है।

मान्यवर, एक बात और। प्राइवेट सेक्टर में शुगर फैक्ट्रीज को लाइसेंस देना बन्द कीजिए। अगर आप लाइसेंस देना चाहते हैं तो कोआपरेटिव सेक्टर को दीजिए, कोआपरेटिव को बढ़ावा दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट कार्पोरेशन बना कर चलाती हैं या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, लेकिन इस सब से अच्छा कोआपरेटिव सेक्टर चलता है। यह भी बात है कि कोआपरेटिव सेक्टर में भी करप्शन हो गया है, एक ही तरह लोग डोमिनेट करते हैं, बार-बार चुने जाते हैं। फिर भी वह अच्छा है, वहां पेमेंट हो जाता है। कुछ ऐसी कोआपरेटिव फैक्ट्री हैं जहां पेमेंट एश्योर्ड है। मैं नहीं कहता कि सभी पूंजीपति पेमेंट टाइम पर नहीं करते। हमारी स्टेट में दो फैक्ट्री ऐसी थीं प्राइवेट लोगों की—मैं बिरला जी का बराबर क्रिटिसिज्म करता हूं, अभी वह यहां नहीं हैं, उनकी फैक्टरी है, लोग उसके लिए समझते हैं कि बैंक में पैसा जमा है, वह चिट्ठी लिखते है कि अपना पैसा ले जाइये। एक मुसलमान भाई की फैक्ट्री है महमूद साहब की—वहां भी लोग समझते हैं कि बैंक में पैसा जमा है, हर तीन महीने पर वह लोग लिखते है कि अपना पैसा ले जाइये। तो सिस्टमबनाइये। लेकिन आज क्या हालत है ? किसानों को पैसा तो मिलता नहीं। वे परेशान होते है। इस लिये किसानों के पेमेंट को सरकार किसी न किसी तरह से एश्योर कराये और उन का पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट नहीं होता

है तो किसान गन्ना बोना कम कर देते हैं और जब वह गन्ना कम बोयेंगे तो फैक्टरी को गन्ना कम मिलेगा और गन्ना कम पाने पर फैक्ट्री को घाटा होता है। वह पूरे दिन चलती नहीं। तो इस पालिसी में आप परिवर्तन करायें।

अब इस देश के पूंजीपति शुगर केन के फ्री सेल के लिये सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप फ्री सेल की शुगर उनको रिलीज मत करिये और शुगर का डिकंट्रोल भी नहीं होना चाहिए। मिलों में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाहों का रिवीजन भी बहुत दिनों से बाकी है। यह रिवीजन उनकी मजदूरी का होना चाहिए। तनख्वाहें स्टेगनेट हो कर पड़ी हुई हैं। आज भी उनमें से बहुत से लोग टेम्पोरेरी हैं और तबाह हो रहे हैं। मिल मालिक उनको जब चाहे निकाल देते हैं। इसलिये उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी पे का रिवीजन होना चाहिए।

शुगर केन क्राप को भी जनरल इंश्योरेंस शामिल किया जाना चाहिए। अभी वह में शामिल नहीं है। केन का इंशयोरेंस ने से किसान आश्वस्त हो जायेंगे कि र उनका गन्ना मिल मालिक नहीं ा तो सरकार उसका पैसा देगी और का गन्ना बेकार में सूख कर बर्बाद ीं होगा। इसलिये जनरल इंश्योरेंस में र केन को लाने की व्यवस्था यें। इस से किसानों का बड़ा ा होगा।

अंत में मैं अपील करूंगा कि शुगर ोलाजी के जो इंस्टीट्यूशन्स हैं उन में र के संबंध में शिक्षा दी जाती है। कानपुर में है और दूसरी जगहों में सकते हैं। उन में किसान के बेटों को ेंस दिया जाये। मुझे याद है कि जब मैं ने लिखा है और किसी किसान टे को स्पांसर किया है तो राव साहब स को माना है। लेकिन मैं चाहूंगा कि क से अधिक जो केन पैदा करने वाले ा के लोग हैं उन को आप इन इंस्टीट्यू- में दाखिल होने की सुविधा दें।

इन शब्दों के साथ मैं आप से अपील करूंगा कि किसानों को बकाया पैसे दिलवाने की आप उचित व्यवस्था करें। इस से किसानों को बहुत फायदा होगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और उपसभाध्यक्ष जी, आपको समय देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

SHRI P. BABUL REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a very simple Bill. The Government wants to continue their management for one more year, that is, from six years to seven years. The period of seven years also would be over by November technically, but practically their term would be over by April because the season for sugarcane crushing would end with April. So, all that they are wanting is another three months' time to manage effectively. Therefore, there is nothing to oppose nor is there much to support. But taking advantage of the fact that the hon. Minister, Rao Birendra Singh, is known for his sympathy to the poor farmers, I want to make reference to two or three aspects pertaining to the sugar industry and draw the attention of the Government to the plight of the poor farmers.

Sir, in the year 1978 when this Bill came up before Parliament, the position was thatt there was a record production of sugarcane of about 65 million tonnes and there was a glut. The sugar factories were already in heavy arrears with respect to sugarcane prices. They did not pay. Nearly Rs. 53 crores was outstanding from various factories. And they were not purchasing sugarcane, delaying the, Commencement of crushing. So, this Act came into force in the year 1978 with the twin objects of compelling the sugar factories to pay the sugarcane price arrears and also to begin crushing earlier. So, it has a very wholesome objects behind it.

Sir, after these seven or eight years. what has happened is really a matter of regret. In 1978 there was a glut of sugarcane. Factories were not able to purchase. Today what is the position? The raiyats are not prepared to sell it to the sugar factories. They want to convert

[Shri P. Babul Reddy]

the sugarcane into jaggery. The reason is that the so-called Agricultural Prices Commission has fixed such unremunerative prices for sugarcane that the raiyats are not willing to sell. I will tell you, Sir, one of the main guidelines in the Act, in the Sugarcane Price Fixation Act, is that the cost of production has to be taken into account. The Government of Andhra Pradesh, for the year 1983-84, sent a recommendation that the cost of production of sugarcane in Andhra Pradesh was about Rs. 200 per tonne, and they suggested, about Rs. 240 would be the remunerative price for the farmer because the farmer has to grow it on his land, *not in the air. His land* costs about Rs. 10,000 to Rs. 20,000. If that is to be invested in a bank, he would get one or two thousand rupees. The inputs cost has gone up very much. But the experts in the Agricultural Prices Commission (as my friend, Mr. Ramanand Yadav just now said, it is much better that the Agricultural Prices Commission is reconstituted early) recommended the minimum price of Rs. 135 per cent, while the cost of production was Rs. 200. Then the Central Government sent that recommendation saying that the minimum price was only Rs. 135. The State Government came to the rescue of the raiyats, and they recommended to pay Rs. 60 more to the raiyats. That makes Rs. 195. In Andhra Pradesh there are 28 factories fourteen of them in the co-operative sector and fourteen of them in the privatet sector. The co-operative sector factories obeyed the recommendation made by the State Government to pay Rs. 60 more. The result was that each factory sustained a loss of Rs. 60 lakhs in one year. The Government gave Rs. 7 crores interest-free loan to these fourteen factories. The private factories did not pay Rs. 195

There is one more funny thing which I should bring to the notice of the hon. Minister. The Government has announced another Rs. 10 beyond Rs. 60 to be paid to the raiyats, reducing it from the purchase tax, and that amount was routed through the factories who had already paid Rs. 195. The co-operative factories were paying Rs. 195. So, Rs. 10, was given to them, and they disbursed them to the farmers. But the private factories did not pay. They paid only Rs. 135. Even those Rs. 10 were denied to the poor raiyats because those factories did not obey the Government's *recommendation.* This is *illustrative* of the pitiable plight of the farmers, Sir. (*Time bell rings*)

I have not taken even three minutes.

Now there is another aspect to be mentioned, Sir. The management of the factories are making tonnes of money. But every factory is showing accounts that they are losing money. The farmers' plight is very bad. And I may bring to your notice, in the year 1976 in a place called Nandyal in Andhra Pradesh the farmers thought that they would not get even the cost of cutting. They set fire to the cane when it was ripe for cutting

SHRI KALPNATH RAI (Uttar Pradesh): During the Janata rule.

SHRI P. BABUL REDDY: Whoever *ruled. If you had ruled, it would have* been worse. That is not the point. We are on a point of what the price is today Now you are saying that it was the Janata rule. Agreed. Now what is th plight? The farmers do not want to giv the cane to the factories. There is some thing like the procurement order. Ther is a direction under the Sugarcane Con trol Order to supply 85 per cent of th cane grown by the farmers compulsoril to the factories because they are nc willing to sell. They want to convert into jaggery and sell it, and the Govern ment say the crushers cannot be worke In Guntur and Krishna Districts, tl Collectors have issued orders illegally th in the law it is said that the grower wl owns a crusher need not take a licen Now, they are insisting that the growe should take licence. When they appli for procuring licence they are refuse That is the fate of the farmers. If y thwart their attempts to convert sug cane to jaggery then the Governme should pay these farmers remunerati prices. Then there is one more thing would like to say.

On 20th August, 1978, the control on Sugar with respect to price, movement and distribution were removed. Sir, at that time the price was Rs. 335. Within three months before November, the free sale price of sugar came down to Rs. 225. This has happened during the Janata regime and I want Mr. Kalpanath Rai to note it. Why I was suggesting this is, controls, a source of corruption have to be removed. There is no evidence of this fact. Sir, I am very glad that our present Prime Minister has very categorically stated that on policy the Government are going to remove controls. It is a very good thing.

I may remind to the Hon'ble Minister that in the year 1952 Shri C. Rajagopalachari was the Chief Minister of composite Madras State, Shri Rafi Ahmad Kidwai was the Minister at the Centre. In the war time there were many controls which resulted in corruption. Why should we not take advantage of decontrol and put an end to this practice of corruption which Shri Rafi Ahmad Kidwai did? Sir, today we are surplus in foodgrains. For example in the year 1977 it was only 109 million tonnes. But today it is 151 million tonnes. That is 9 million tonnes more than the targeted production. Shri Rao Birendra Singh could do that in the year 1980—85.

Sir, there are certain things more I wanted to say but the bell has been rung. I would like to point out about molasses. If I tonne up molasses is capable of producing 600 litres of alcohol, 600 litres of alcohol that is made dilutable by adding another 600 litres of water results in 1200 litres of alcohol. This is sold to the Government at Rs. 0.60 Further by adding excise duty it is sold at Rs. 6. When it goes to the consumer it is sold at Rs. 60 per litre of alcohol. Sir, what is the net result? One tonne of molasses fetches about Rs. 60,000, either to the exchequer of the Government or to the excise contractors. Why should not molasses prices be increased? It will be surprising to many hon. Members the molasses control price is Rs. 30 per tonne. For that price one cannot even get earth. One tonne of molasses sold at Rs. 30 yields Rs. 60,000 of alcohol which is ultimately consumed by the poor people. I can also tell you in Warangal town the arrack shops are releated for Rs. 2 crores per annum. In Visakhapatnam town alone the arrack shops are released for Rs. 10 crores per annum. So, Rs. 0.60 is paid by the Government to the factory producing alcohol from molasses. Finally, it is sold to the consumer at Rs. 60. Why I am telling now is that the importance of this product is so much that why should not a portion of thtis amount be diverted to the poor farmer. When the Government is making so much money from these molasses why should not they be diverted to the farmers also. Andhra Pradesh is getting Rs. 316 crores from the alcohol every year. The poor man consumes the alcohol or arrack or sendhi and he pays for it. These poor people are contributing Rs. 3 crores. What is the use of giving them rice at Rs. 2 per kg. or Rs. 23 per saree and the same time taking away Rs. 3 crores from them. What I am suggesting is that there is so much source if there is a will to help the farmer. You can take money from the molasses source. You can take money from the sugar source. The price of everything has gone up. If you increase the price of sugar by 50 paise, the farmer can be paid Rs. 50 more per tonne. Why grudge that? The price of cement has gone up from to Rs. 7 to Re. 70. The price of steel has gone up from Rs. 600 to Rs. 6,000. So, if you increase the price of sugar by 50 paise, you can pay Rs. 50 more per tonne to the farmer. Similarly you can take Rs. 100 more from molasses, on which they are making a profit of Rs. 60,000 and divert it to the poor farmer. These farmers have no voice and there is no body for them to represent. They are like sheep in the villages. So nobody takes care of them. If a sugar factory loses, you give Rs. 4 crores of interest-free loan. If a 5-star hotel is to be built, you give Rs. 10 crores at an interest rate of 8 per cent and the amount is not to be collected for seven years. So these are all facts which I want to bring to the notice of the Minister so that he can take note of them and do some justice to the poor farmer. With these words, I conclude.

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय सुगर अन्डरटेकिंग ऐक्ट, 1985 विधेयक पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। केवल इसके कि मैं चन्द सुझाव दूं कल जब आप सामने से इस बिल के ऊपर कुछ फरमा रहे थे, अपना विचार दे रहे थे तो मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था आपने कल राष्ट्रीयकरण की बात कही थी। मैं यह पूछना चाहूंगा कि सन् 1978 में जब यह बिल पेश किया गया था तो उस समय आप की सरकार थी। यह बिल आपकी सरकार द्वारा पेश किया गया था। उस समय आज के लोग, आज के विरोधी दल के लोग सरकार में थे उस समय इस बात की चर्चा क्यों नहीं की गई? अब इस हालत में जब कि मच वाटर हैज फ्लोन इनटू दी गंगेज Much water has flown into the Ganges. सरकारीकरण की बात जंचती नहीं हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उस समय अगर इन मिलों का सरकारीकरण हुआ होता और इन आठ मिलों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया होता तो जो 31 करोड़ रुपये की राशि इनकी व्यवस्था सुधारने में लगायी गयी हैं वह लगाने की नौबत नहीं आती।

उपसभाध्यक्ष महोदय कल यह बात भी कही गई थी कि जब छः सालों में इनकी व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सका तो क्या एक साल में जो रुपया लगाया गया है वह निकाला जा सकेगा? उसमें एक साल की अवधि बढ़ाने से कोई लाभ होगा? या एक साल में यह काम किया जा सकेगा? इस संबध में मैं यह बताना चाहता हु कि पिछली सरकार 1978 में जिन्होंने इस बिल को पेश किया था वह तीन साल में जो काम नहीं कर सकी हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में यह काम निश्चित रूप से एक साल में हो कर रहेगा।

अब मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने सन् 1981 में तीन साल की अवधि बढ़ाई जाये ऐसा संशोधन का विधेयक पेश किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि

"In the Interest of sugarcane growers and workers and also increased Production of sugar"

यह तीन साल की अवधि बढ़ाई जाये। आपने यह भी कहा था कि "The period of three years in not sufficient for their full recovery"

पिछले तीन सालों की अवधि भी आपने पूरी कर ली है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस साल आपने कहा था कि :

"The Government has also invested large sums of money on payment of arrears of worker's pay."

तो इसमें तीन बातें सामने आती हैं। तो क्या मैं समझ लूं कि जिन उद्देश्यों के लिए यह विधेयक लाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई होगी। उपसभाध्यक्ष महोदय इन मिलों में सरकार द्वारा करीब 31 करोड़ रुपया लगाया जा चुका है, जैसा कि कहा गया है इसको वापस करने की एक योजना मंत्री महोदय को रखनी चाहिये। एक साल में यह रुपया किस तरह से वापस हो इसका विवरण तैयार होनी चाहिए। इन मिलों का हिसाब-किताब, इनकी बैलेंस शीट भी इस बीच में तैयार करने की आवश्यकता है और सरकार द्वारा इन पर जो भी रुपया लगाया गया है उसका पूरा पूरा विवरण निकालना चाहिए ताकि कैपिटल एक्सपेंडीचर और रेवेन्यू एक्सपेंडीचर जो भी हुआ है इसको ध्यान में रख रुपया निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही जो ग्रोवर्स हैं, जो वरकर्स हैं, इन मिलों में काम करते हैं उन्हें भी संतुष्ट करने का प्रयास करने का प्रावधान करना चाहिए। जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 1978 में एक्ट बना था, उन बातों पर दृढ़ता से अमल, इस एक साल के अन्दर करने के लिए ही यह विधेयक रखा गया है, तभी वह उद्देश्य सफल हो सकेगा। इन सब बातों के साथ-साथ इन मिलों की कार्यकुशलता बढ़ाने, की भी योजना करनी होगी। इतना ही नहीं हमें यह भी देखना होगा कि इन मिलों की कार्यकुशलता बढ़े और यह तभी हो सकेगा जब शुगर प्राइसिंग पालिसी में भी तबदीली की जाये। सरकार को बड़े-बड़े चीनी उद्योग पतियों के प्रति कठोर होना होगा

तभी एक साल के अन्दर पैसा वापस हो सकेगा। इसलिए जिन दिक्कतों का सामना 1978 में पहले करना पड़ा था और जिस बजट से मिलों की व्यवस्था की गयी थी उन दिक्कतों का सामना एक साल बाद के बाद न करना पड़े, इसका ध्यान रखना होगा। सिर्फ अवधि बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मंत्री महोदय, शुगर मिल के लिए एक कोम्प्रिहेंसिव प्लान और प्राइसिंग प्रोग्राम तैयार करना होगा और आगे मिलें सिक न हों इसकी व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए जैसा कि मैंने कहा शुगर की एवरेज प्राइसिंग पालिसी जो तत्काल चालू है उसको बदलना होगा। आज कम्प्यूटर के जमाने में प्रत्येक शुगर मिल का कास्ट आफ प्रोडक्शन निकाली जा सकती है और उसकी प्राइस फिक्स अलग-अलग रूप से की जा सकती है, न कि एवरेज प्राइस पालिसी से कीमत निर्धारित की जाय। अलग अलग मिल का अलग अलग कास्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर, प्राइसिंग पालिसी तैयार करनी होगी। तत्कालीन प्राइसिंग पालिसी चलती रही तो शुगर मिलें सिक होती रहेंगी और आपको फिर उनके सरकारीकरण या उसका प्रबन्ध लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। 1978 में जो इन कारखानों की हालत थी पुनः वही हालत इस पालिसी के न लागू करने से आपको भुगतनी पड़ेगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं और हम सब जानते हैं कि कारखानों के प्रभावशाली मालिक जानबूझकर मजदूरों का पैसा बकाया रखते हैं और किसानों को पैसा नहीं देते हैं और उत्पादन की फिगर्स में जगलरी करके सरकार को बाध्य करते हैं कि सरकार उसका प्रबंध अपने हाथ में ले लें। वे मिलों का सारा पैसा चूस लेते हैं, मिलों के ऊपर कर्जा उगाह देते हैं। आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा और आगे जो पालिसी अख्तियार करने जा रहे हैं उसमें इन तमाम बातों का समावेश करना चाहिए।

मैं इस संशोधन बिल में एक और आवश्यक सुझाव रखना चाहता हूं। अभी जो भी पैसा सरकार का इसमें लगाया गया है सरकार की मालिकियत उन मिलों पर नहीं हो पायी है। एक कानून का प्रावधान करना चाहिए कि जब तक सरकार द्वारा लगाया गया पैसा मिल वापस नहीं करती तब तक सरकार की मालिकियत इन मिलों पर होनी चाहिये। यानि सरकार की मालिकियत का हक उन मिलों पर होना चाहिए ताकि जिन मिलों में इनवेस्टमेंट किया गया है वह सिक्योर्ड हों। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, गन्ना, गन्ना मिल और किसान मेरा रुचि का विषय है लेकिन मैं इस समय गन्ना और शुगर फैक्टरी के ऊपर अपने विचार नहीं रखूंगा। जो यह बिल मंत्री जी ने पेश किया है केवल इस बिल से सम्बन्धित अपने विचार आपके द्वारा मंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मान्यवर, किसान, मजदूर और उद्योग के हित में सन् 1978 के सीजन से इन फैक्टरियों को सरकार ने अपने प्रबंध में लिया था। प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिए 1981 में पुनः तीन वर्ष के लिए और बढ़ाया गया और अब एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा रहा है। गन्ने का मूल्य बकाया था, सरकार का ड्यूज भी बकाया थे, मिल मालिकान अपनी मिलों का संचालन ठीक नही कर रहे थे इसलिए सरकार ने मिलों को लिया, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इन तीन वर्षों में इन मिलों की स्थिति में सरकार ने कितना सुधार किया है, यह प्रश्न मंत्री जी के सामने सरकार के सामने, चुनौती है। इन 8 फैक्टरियों में 2 फैक्टरियां सहकारिता विभाग की है। सहकारी विभाग की फैक्टरियों का तो प्राय: राज्य सरकार के द्वारा ही संचालन होता है। सहकारी विभाग की फैक्टरियों नहीं ली जानी चाहियें थी उनका संचालन राज्य सरकार के हाथ में था तो उन्हीं को ऋण देते और उनसे ठीक संचालन करने के लिए कहते। खैर, फैक्टरियां आपने लीं लेकिन अभी तक इन फैक्टरियों में 31 करोड़ 16 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है सरकार की ओर से। जितने भी कस्टोडियन रखे जाते हैं वे एक वर्ष के लिये या डेढ़ वर्ष के लिए आते हैं इन फैक्टरियों में पैसा कमाते हैं और चलते हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सन्तोष कुमार साहू) पीठासीन हुए ।]

अपने लड़कों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को इनमें नौकरियां देते हैं। मान्यवर, मुझे जानकारी है लकसर शुगर फेक्टरी जो सहारानपुर में है वहां एक कस्टोडियन था, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, उन्होंने घटिया किस्म का कोयला धनबाद से मंगाया, वजन के फर्जी वाऊचर बनवाए और घटिया किस्म का कोयला मंगा कर ऊंची किस्म के कोयले का भुगतान फेक्टरी से कराया। उसी प्रकार से लाइमस्टोन देहरादून से मंगाया जो घटिया किस्म का था और वहां भी बाजार भाव से ऊंचे मूल्य पर खरीद दिखाई गई। अब से पांच साल पेश्तर एक एम० पी० महोदय ने सरकार को शिकायत की थी। रजा बुलंद फैक्ट्री जो रामपुर में प्रारम्भ में ली गयी थी उसके कस्टोडियन महोदय ने 50,000 शुगर के बोरे 15 रुपये प्रति बोरा कम दिखलाकर बाजार में बेचे किसी एकाउंट में, हिसाबात में उन रुपयों को दर्ज नहीं किया। इसी प्रकार से राजा का सहसपुर में 35,000 शुगर के बोरे कम मूल्य पर बेचे गये बाजार भाव से। मान्यवर, शिकायतें होती है तो कस्टोडियन्स को एक जगह से हटाकर दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। इससे क्या लाभ होता है? कस्टोडियन्स अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं। एयर से चलते हैं, कारों से चलते हैं फाइव स्टार होटलों में यहां ठहरते हैं। लकड़ी की खरीद, कोयले की खरीद, लाइमस्टोन की खरीद में और अनावश्यक लोगों को नौकरियां देकर सरकार को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की जाती है और फैक्ट्रियों का भट्टा बैठाया जाता है।

मान्यवर, अभी दो फैक्ट्रियों की भी जानकारी मेरे पास है, बेतालपुर और देवरिया की फैक्ट्रियां। इन दोनों फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री में सन् 1980-81 में 1,12,00,000 रुपये का घाटा था, सन् 81-82 में 1,29,52,000 रुपये का घाटा हो गया और 82-83 में यह घाटा और बढ़कर 1,49,89,000 रुपये हो गया। दूसरी फैक्ट्री में सन् 1980-81 में 1,15,96,000 रुपये का घाटा था, 81-82 में 1,36,41,000 हो गया और 82-83 में यह बढ़कर 1,51,65,000 रुपये हो गया। यह फिगर्स देने के पीछे मेरी मंशा आपको यह बताना है कि प्रतिवर्ष आपके घाटे बढ़े हैं। कल आपने कृपा करके सन् 1983-84 में इन फैक्ट्रियों में गन्ने की कीमत की अदायगी का ब्योरा माननीय सदन को दिया। जाहिर है कि नये सीजन के शुरू होने के पूर्व आपने करीब करीब गन्ने के बकाया का पेमेंट कराया है। अच्छा होता अगर आप यह बता पाते कि गन्ने की बकाया कीमत जो 14 दिन से फालतू थी, नहीं दी जा सकी थी उस पर हम इतना सूद दिलाकर गन्ने का पेमेंट कराएंगे। अच्छा यह भी होता अगर वह बताते कि जिन आठ फैक्ट्रियों की स्थिति के बारे में विचार हो रहा है और एक साल के लिए अवधि बढ़ रहे हैं तो मौजूदा गन्ने की कीमत की अदायगी की इन फैक्ट्रियों में यह स्थिति है। अगर वे इस पर भी प्रकाश डाल सकेंगे तो मैं उनका इसके लिए भी बहुत ही शुक्रगुजार हूंगा।

सन् 1980 से अब सन् 1985 तक और शायद उससे पेश्तर भी जब से इन फैक्ट्रियों को लिया गया है, जहां तक मेरी जानकारी है, उनका आडिट नहीं हुआ है। मैंने पालियामेंट में भी क्वेश्चन दिया था। उस समय श्री भागवत झा आजाद थे आपके स्थान पर और आपके विभाग के मंत्री थे तो इनका आडिट हुआ कि नही यह उत्तर उनकी आंख से ओझल हो गया था। उत्तर नही दे सके थे। मैंने आधे घंटे की चर्चा का भी प्रश्न उठाया लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिल सकी। फिर दुबारा एक लेटर आपको भेजा है, शायद आपको मिला होगा। उसमें इस संबंध में सारी बातें आपको भेजी थीं। फिर दुबारा मौका लगेगा तो जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा। तो 31,16,00,000 रुपया सरकार इन मिलों को दे चुकी है और सन् 1980 से आज तक उनके एकाउंट्स का आडिट नहीं हुआ हो इससे ज्यादा शोचनीय स्थिति क्या हो सकती है।

मान्यवर, ये कस्टोडियन्स सरकार से कर्जा लेते हैं लेकिन बैंकों से भी अलग से कर्जा लेते हैं। इन्होंने इन सारी फैक्ट्रियों का भट्ठा बैठा दिया है। सवाल यह नहीं है कि आप इन फैक्ट्रियों को लौटायें। लौटायें न लौटायें यह तो आप देख लें लेकिन किसान यह अपेक्षा करता है, मजदूर यह अपेक्षा करता है, देश की जनता यह अपेक्षा करती है कि इन फैक्ट्रियों का इंतजाम जिस तरह से मिल मालिकान ने किया था, उससे बेहतर ही होना चाहिए। अगर उससे इंतजाम आप बेहतर करते हैं, तो बहुत ठीक बात है। इंतजाम में सारी खराबी केवल इन कस्टोडियंस की वजह से हुई है।

मुझे तो, मान्यवर, यह भी और जानकारी हुई है कि कृषि भवन में एक पैरेलल सेक्रेटेरिएट इन्हीं फैक्टरियों के काम को देखने के लिए बन गया है और अस्सी हजार रुपया प्रति फैक्टरी यह जो बोसीदा और बेकार की मिलें हैं, उनसे इस मिनि पैरेलल सेक्रेटेरिएट के लिए लिया जा रहा है। कितना इंतजाम अच्छा चल रहा है? कितना यह चल सकेगा और फिर प्रश्न यह है कि सरकार की व्यवस्था में जब इनका प्रबंध है, तो इनके आडिट जो हैं, अब प्राइवेट चार्टर्ड एकाउण्टेंट से क्यों करवाये जा रहे हैं? सी० ए० जी० से इनके अकाउण्ट्स चैक होने चाहिए। सी० ए० जी० से न करवा कर के प्राइवेट चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स से क्यों अकाउण्ट्स चैक करवाये जा रहे हैं? यह भी एक चेलेंज है। इन सभी के अकाउण्ट्स, मान्यवर, जितनी जल्दी हो सकें, वह चैक करवाये जाएं।

अब अगर और देखा जाए, तो यह फैक्टरीज जो आपके कण्ट्रोल में हैं, इनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन शूगर की पर क्विंटल, पर टन क्या आती है? इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो शूगर इन मिलों में बनती है, उसकी पर क्विंटल, पर टन कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है और जो दूसरी फैक्टरीज हैं उन्हीं जिलों की, जहां-जहां यह हैं, उन्हीं जिलों की दूसरी फैक्टरीज की पर टन, पर क्विंटल कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है?

इन सारी बातों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। मुझे तो यह भी, मान्यवर, पता चला है—अब नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन जो कस्टोडियंस अपने आपको किंग समझ बैठे हैं, वह बड़े-बड़े आफिसर्ज को भी घाटे पर चल रही इन मिलों पर बोनस देते हैं। हैं कहीं तुक? मजदूर को बोनस देते, समझ में आता।

शूगर फैक्टरीज में चीनी निर्माण पर दो-तिहाई गन्ने के मूल्य का पड़ता है। किसान को कोई बोनस नहीं, मजदूर को कोई बोनस देता, क्या खुशी की बात है, लेकिन बड़े-बड़े अधिकारियों को बोनस दिया जाए सरकार की मिलों का—अगर आपकी इजाजत से दिया गया है, तो आप जानें। लेकिन मैं उसे भी अप्रूव नहीं करता। लेकिन अगर बोनस बड़े-बड़े अधिकारियों को दिया गया है, तो यह ज्यादती की बात है, नहीं दिया जाना चाहिए था।

मान्यवर, मैं और अधिक बात आपसे न कहते हुए, केवल यह गुजारिश करूंगा कि जो मिलें आपने ली हुई है, इन मिलों के अकाउण्ट्स को आप ठीक ढंग से आडिट करवायें, प्राइवेट चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स के जरिए इनके अकाउण्ट्स आडिट न करवायें, जाएं, जो आप इनके ऊपर कस्टोडियंस रखते हैं, वह कृपा करके, मेहरबानी करके चुन करके आदमी भेजें जिससे कि सरकार के रुपये का भी नुकसान न हो, बैंकों से लिए हुए रुपये का भी नुकसान न हो, प्लांट का भी फायदा हो, किसान और मजदूर का भी फायदा हो, यह मेरा सुझाव है।"

मान्यवर, जितने खर्चे कम किये जा सकते है, कास्ट आफ प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको भी आप चैक करवायें और खर्चे भी कम करवायें, जो वहां पर पैरेलल सेक्रेटेरिएट कृषि भवन में बना दी गई है, उसको भी आप

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

बंद करवायें। इसके साथ-साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि जब पूरा आपको एक वर्ष हो जाएगा इनके संचालन का, तो निश्चित ही आपकी इन आठों मिलों के प्रबंध में सुधार होगा, किसान, मजदूर और जो इण्डस्ट्री है, उद्योग है, उन सभी को लाभ पहुंचेगा।

इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं सरकार द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, हिंदुस्तान बनियादी रूप से एक कृषि प्रधान देश है और गांव का देश और वहां की पूरी अर्थ-व्यवस्था किसानों के ऊपर निर्भर करती है। मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 1969 में बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव किया था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। और देश की जनता के सामने सरकार ने एक वचन दिया था। 1969 में हमने वचन दिया कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और आज तक चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। यह पूरे देश की जनता की अदालत में दिया गया एक हलफनामा था, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। 1976 में हमने हिन्दुस्तान के संविधान में यह प्रावधान किया कि इंडिया विल बी ए डैमोक्रेटिक सोशलिस्ट सैकुलर रिपब्लिक इसके पहले हिन्दुस्तान डैमोक्रेटिक रिपब्लिक था। इसके बाद हिन्दुस्तान डैमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक हुआ यानी हम समाजवादी गणराज्य की स्थापना का संविधान में वचन देते हैं। हर हिन्दुस्तान का विधायक और एम० पी० और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का मिनिस्टर या प्रधान मंत्री इस बात की शपथ लेते हैं कि मैं हिन्दुस्तान के संविधान की रक्षा करूंगा और उसको अक्षुण्ण और कायम रखूंगा। तो समाजवादी समाज के निर्माण का वचन हमने संविधान के माध्यम से दिया और आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमने बम्बई के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया कि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। परन्तु आज तक चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के प्लानिंग कमीशन और हिन्दुस्तान की सरकार के सामने मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था का निर्माण करने के लिए और हिन्दुस्तान को शक्तिशाली और मजबूत देश बनाने के लिए हिन्दुस्तान के गांवों को मजबूत बनाना होगा और हिन्दुस्तान की कृषि को मजबूत बनाना होगा। आज इस देश में खेती करने वाले किसानी का काम करने वाले किसान लगातार निराश होते जा रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तो राव वीरेन्द्र सिंह की जो हमारे फूड मंत्री हैं इनकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में इनसे कोई अच्छा कृषि मंत्री हमारे हिन्दुस्तान को नहीं मिला क्योंकि सन 1980 से 1985 के बीच किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दाम का निर्धारण कैबिनेट में जिस ढंग से इन्होंने करवाया और गेहूं का और चावल का दाम जिस तरह से बढ़ाया उसके लिए हम किसानों की तरफ से इनको धन्यवाद देते हैं। 12 मार्च 1980 को इंदिरा जी की कैबिनेट की अध्यक्षता में यह सरकार ने प्रस्ताव किया कि इंडस्ट्रियल गुड्ज़ और एग्रिकल्चरल गुड्ज़ में पैरिटी स्थापित की जायेगी। यह भी सिद्धांत आदरणीय उस समय के कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह जी के सुझाव पर हमारे प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया था। लेकिन मैं आदरणीय फूड मंत्री साहब आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1980 से लीजिए कि 1980 से लेकर 1985 के बीच में खेतों में पैदा होने वाली चीजों का दाम क्या है और कारखानों में बनने वाली चीजों के दाम में क्या बढ़ोत्तरी हुई है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो सामान खेतों में पैदा होता है उससे कारखानों में बनने वाली चीजों के दाम चार गुना पिछले पांच साल में बढ़े हैं।

फिर आपने जो पैरिटी का सिद्धांत देश की कैबिनेट ने स्वीकार किया वह सिद्धांत कहां है? उपसभाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी गांवों और किसानों का नाम लेकर सत्ता में आयी थी और जीवन की आवश्यक वस्तु जो चीनी है उसका हाल यह हुआ कि जनता पार्टी के जमाने में उन्होंने किसानों को गन्ने का दाम नहीं दिया। परिणामस्वरूप पूरे देश में हाहाकार मच उठा और शुगर का उत्पादन 1979-80 में 38 लाख टन हो गया और सारे देश में चीनी का सवाल इतना जबर्दस्त उठा था कि पूरे मूल्क में जनता पार्टी का भी सफाया 1980 के चुनाव में हो गया। 1980 में जनता पार्टी के सर्वनाश का बुनियादी कारण यही था कि हिन्दुस्तान में चीनी का इतना बड़ा संकट पैदा हुआ 1979-80 में जितना कभी देखा नहीं गया। 1980 में जैसे ही हमारे देश की प्रधान मंत्री के हाथ में हुकुमत आयी और राव बीरेन्द्र सिंह कृषि मंत्री बने उस समय किसानों के खेतों में पैदा होने वाले गन्ने का दाम 22 रुपया क्विटल आपने निर्धारित किया। उस का परिणाम यह हुआ कि 1980-81 के बीच 78 लाख टन और 1982-83-84 में 84 लाख टन हिन्दुस्तान के किसानों ने शुगर का प्रोडक्शन किया और सारे देश में चीनी का सारा स्टाक खत्म हो गया क्योंकि आपने किसानों को एक रिम्यूनेरेटिव प्राइस आपकी अध्यक्षता में किसानों को दी। उपसभाध्यक्ष महोदय, 1983-84 में 84 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। मगर इस साल 1984-85 में वह उत्पादन घट कर केवल 58 लाख टन रह गया है यानी 84 लाख टन से उत्पादन घटकर 58 लाख टन हो गया और जनसंख्या में करोड़, सवा करोड़ की वृद्धि हो गयी। इसके मायने कि किसान की जो कोस्ट आफ प्रोडक्शन है, वह 1980 के बाद 1985 के बीच दुगुनी, तिगुनी, चार गुनी बढ़ी है। लेकिन जो रिम्यूनेरेटिव प्राइस आप को देना चाहिए वह आपने उस हिसाब से नहीं दी है। परिणामस्वरूप जिस हिन्दुस्तान के किसान ने 1983-84 में 84 लाख टन चीनी का उत्पादन किया, आज 1984-85 में वह उत्पादन घटकर 58 लाख टन हो गया है। इसका कारण यह है कि कोस्ट-एस्केलेशन इतना बढ़ रहा है और किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं।

दूसरी तरफ उपसभाध्यक्ष महोदय मैं राव बीरेन्द्र सिंह जी को हिन्दुस्तान के करोड़ों किसानों की तरफ से फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने हिन्दुस्तान के किसानों के लिए जो कदम उठाया, वह पिछले 36-37 साल में किसी कृषि मंत्री या फूड मिनिस्टर ने नहीं उठाया। जिस तरह के आपने किसानों को दाम दिए। अब अगर आप केबिनेट के सामने, फायनेंस मिनिस्टर के सामने, प्रधान मंत्री के सामने इस सवाल को नहीं रखेंगे, जो हमारे संसद सदस्य आपके सामने उठा रहे हैं और मुस्तैदी के साथ किसानों की बात नहीं करेंगे, तो आने वाला परिणाम बहुत खराब होगा। हिन्दुस्तान में पूरे स्वराज्य की लड़ाई, पूरी आजादी की लड़ाई का इतिहास महात्मा गांधी का रहा है गांव का निर्माण, गांव का स्वराज्य, स्वाबलंबन, गाव का विकास, हिन्दुस्तान का विकास, यह हमारा इतिहास रहा है। लेकिन हम नकल करते हैं यूरोप की। प्लानिंग कमीशन के लोगों को समझना चाहिए कि यूरोप की बुनियाद है—शहरीकरण, इंडस्ट्रलाईजेशन, औद्योगिकीकरण और इसी आधार पर यूरोप की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण हुआ है। लेकिन हमारे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था का निर्माण ग्रामीण, रूरल और एग्रीकल्चर है। यदि आप हिन्दुस्तान की कृषि का आधुनिकीकरण और हिन्दुस्तान के गांवों का आधुनिकीकरण करेंगे, तब नए हिन्दुस्तान, समाजवादी, शक्तिशाली हिन्दुस्तान का निर्माण होगा गांधी, जवाहर लाल और इंदिरा जी के सपनों का हिन्दुस्तान बन पाएगा।

उपसभाध्क्ष महोदय, मैं फूड मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को केबिनेट को बताइए कि आपने जो वचन दिए हैं, उनको पूरा करें। पहला वचन 1969 में दिया, हमने देश की जनता की अदालत में हल्फनामा लिया कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे ताकि यह जो शोषक पूंजीपति हैं,

[श्री कल्पनाथ राय]

जिन्होंने हिन्दुस्तान के किसानों का खून चूस रखा है, उन पूंजीपतियों के हाथों से मिलों को ले लेंगे। आप इन मिलों को ले लीजिए और परमानेंट इन मिलों को कोआपरेटिव सेक्टर में या नेशनल सेक्टर में चलाने को दें।

दूसरा निवेदन यह करूंगा कि एक भी प्राइवेट मिल मालिक को, आज सरकार यह वचन दे पार्लियामेंट के अंदर कि हम एक भी पूंजीपति को हिन्दुस्तान के अंदर चीनी मिल बनाने के लिए लाइसेंस नही देंगे और जितने भी लाइसेंस हिन्दुस्तान में जारी किए जाएंगे, वह केवल कोआपरेटिव सेक्टर को जारी किए जाएंगे।

साथ ही उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के पूंजीपति मिलों की रिपेयर के नाम पर, मेंटीनेंस के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपया आपसे लेते है और दूसरी तरफ वह नेशनलाइज्ड बैंकों से लेते हैं, तीसरी तरफ फ्री-सेल कंट्रोल, सेल के नाम पर लेते हैं। इस तरह यह लोग लूटते हैं। तो हम पूंजीपतियों को क्यों प्राइरिटी देंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हू कि आप इस तरफ कदम उठाएं और याद रखिए राव वीरेन्द्र सिंह जी, आपका नाम इतिहास में स्वर्ण-अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरह से किसानों और गांवों का नारा देकर चौधरी चरण सिंह जी और जनता पार्टी 1977 में सत्ता में आई, वह भी दो रुपए क्विंटल से ज्यादा दाम नहीं बढा सकी। लेकिन आपने 1980 में 10 रुपए क्विंटल गेहूं का दाम बढ़ाया, 1981 में फिर 10 रुपए बढ़ाया, 1983 में फिर 10 रुपए बढ़ाया और 1984 में फिर 10 रुपए बढ़ाया। लेकिन अब आपकी कलम में मुझको लगता है कि आपकी विल पावर, और आपकी केन्द्रीय केबिनेट में किसानों के हितो के समर्थक या गांव के समर्थक कितने लोग हैं। यहां बैठे हुए हैं मिस्टर एस० बी० चव्हाण, वे प्लानिंग मिनिस्टर रहे है। मै उन से निवेदन करना चाहता हू कि हिन्दुस्तान को समग्र दृष्टि से देख कर हिन्दुस्तान के किसानों और गांवों के हितों का ध्यान रखा जाय। आज हालत क्या है? अगर कोई व्यक्ति बैंक में एक लाख रुपया जमा कर दे तो उसको 11 हजार रुपया सूद मिलेगा, दो लाख रुपया जमा कर दे तो 22 हजार रुपया सूद मिलेगा और दो लाख बचा रहेगा। लेकिन मेरे गांव में 5 बीघा जोतने वाला किसान, 10 बीघा जोतने वाला किसान सवेरे 4 बजे से रात 12 बजे तक काम करता है, मगर इसके बावजूद वह मकान नही बना सकता, बच्चे को नही पढ़ा सकता, शहर में जा नहीं सकता। दिन रात कठोर परिश्रम करने के बाद 10 बीघा, 15 बीघा, 5 बीघा जोतने वाला किसान अपने जीवन को आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा नही कर पाता। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में एक एकड़ जमीन 50 हजार रुपया बीघा है। चार एकड़ वाला किसान अपनी जमीन बेच दे और दो लाख रुपया जमा कर दे तो उसे 22 हजार रुपया सूद मिलेगा और वह गफूर साहब से डी० डी० ए० का फ्लैट लेकर 22 हजार रुपये में बिना काम किये हरामखोरी करता हुआ अपनी जिन्दगी बिता सकता है दिल्ली के अन्दर। लेकिन जो किसान अपनी पांच एकड़ जमीन पर दिन रात मेहनत करता है गेहू की पैदावार बढ़ाने के लिए, पैडी का उत्पादन बढ़ाने के लिए, गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसके बच्चे, उसकी औरत दिन रात काम करते रहते हैं, उसके बदले वह कर्जखोरी का शिकार होता है। मैं आपसे कहना चाहता हू कि नैशनलाइज्ड बैंक्स से कर्ज की सुविधा जरूर बढ़ी है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी हो रहा है, 7 लाख गांवों मे 90 प्रतिशत कर्ज के शिकार हो गये है। मैं सरकार से चाहता हू कि वह कमीशन बैठाये यह देखने के लिए 7 लाख गांवो में 90 परसेंट किसान कर्जदार हैं या नहीं। कर्जदार हैं। अभी एक आंकड़ा पेश हुआ कि 11 मोनोपोली हाउसेज को नैशनलाइज्ड बैंक्स का 27 हजार करोड़ रुपया मिला हुआ है। ये वे लोग जो दिन रात हवाई जहाजों में, फाइव स्टार होटलों में रहते हैं और नैशनलाइज्ड बैंक्स से अरबों रुपया लेकर खर्च करते हैं। श्रीमती इंन्दिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था हिन्दुस्तान के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बुनियादी परिवर्तन करने के लिए, हिन्दुस्तान के 7 लाख गांवों में रहने वाले किसानों की दशा सुधारने के लिए, भूमिहीनों को मकान

देने के लिए, किन्तु हिन्दुस्तान के राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूजी 90 प्रतिशत सर्वहारा वर्ग के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नहीं, मुट्ठीभर पूजीपतियों को और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैं कृषि मंत्री महोदय से चाहूंगा कि किसानों के हित की बात को केबिनेट के सामने रखें। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नयी पोलिसी बनायेंगे, ठीक है। मैं चाहूंगा कि टेक्सटाइल मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण करें तब हिन्दुस्तान में बुनियादी परिवर्तन होगा और समाजवाद की दिशा में हम कदम उठा सकेंगे। राव साहब हिम्मत और दिलेरी के साथ किसानों के हितों का ध्यान चार सालों से करते रहे हैं, उन्होंने 12 मार्च 1980 को केबिनेट में पहली बार पेरिटी की बात स्वीकार की थी। '80 से '85 के बीच खेतों में काम आने वाली चीजों का दाम चार गुना बढ़ा है आप किसान के उत्पादन का दाम चार गुना नहीं तो दुगुना तो कर दीजिए। हम आपके बिल का समर्थन करते हैं और हमें विश्वास है कि आप ये कदम उठायेंगे। धन्यवाद।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित है उसका एक सीमित उद्देश्य है और उद्देश्य यह है कि अधिग्रहण की अवधि को 6 वर्ष से बढ़ा कर 7 वर्ष कर दिया जाय। यानी सरकार 6, 7 में है, जिसको अंग्रेजी में सिक्सेज एण्ड सेविस कहते हैं उसी में सरकार इस उद्योग के बारे में है। इसलिये यह कंफ्यूजन सरकार के पास है। इसे हिन्दी में हम छः पांच कहते हैं इसलिये मैं सरकार का जो प्रस्ताव कम अवधि के लिये है उसको ज्यादा अवधि का किये जाने के पक्ष में हूं। मैं समझता हूं कि इसको शासक पार्टी को 15 वर्ष कर देना चाहिए क्योंकि इनका 20वीं शताब्दी से तो विश्वास उठ गया है और अब 21वी शताब्दी की तैयारी में यह शासक पार्टी लगी हुई है। मै चाहूंगा कि इसको कम से कम 15 वर्ष अपने हाथ में वह रखें ताकि हम 21वीं शताब्दी तक पहुंचे और देखें कि आप क्या कर पाते हैं इसके लिये।

मैं इन बातों की चर्चा इसलिये कर रहा हूं कि सरकार का यह कहना तो ठीक है और प्रधान मंत्री जी का यह बयान भी ठीक है कि वह मैनेजीरियल इंप्रूवमेंट चाहते हैं। इस देश में मैनेजीरियल इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हों या राजकीय क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में मैनेजीरियल एफीशियेंसी लाने की जरूरत है और मैं इस विचार के साथ हूं, लेकिन पालिसी मैटर ऐसी चीज है कि जिसके बिना 70 करोड़ के देश को नहीं चलाया जा सकता। हमारे मित्र कल्पनाथ राय जी के इस विचार से मैं सहमत हूं कि इस देश को बिना समाजवाद के नहीं चलाया जा सकता। लेकिन जो बातें उन्होंने कही है कि समाजवाद के लिए उन्होंने शपथ खायी है, कसम खायी है और क्या क्या प्रस्ताव पास किये हैं यह सब तो मुझे अरण्य रोदन सा ही लगता है। मुझे दुख है कि मैं अरण्य रोदन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिहाज से जैसे हाथी के दो दांत होते हैं एक खाने के और दूसरे दिखाने के आपका समाजवाद भी उसी तरह की चीज है और इसीलिये ऐसी बातें हो रही हैं।

मै अब आता हूं इस बात पर कि इस देश में न तो प्राइवेट सेक्टर चल पाता है और न पब्लिक सेक्टर चल पाता है। जब मिलें चलाने में प्राइवेट सेक्टर असफल हो गया तो सरकार ने उसको पब्लिक सेक्टर में ले लिया और पब्लिक सेक्टर में भी ये मिलें नहीं चल पाती है। चीनी उत्तर भारत का सबसे बड़ा उद्योग है और इस संबंध में मैं चर्चा करूंगा अपने बिहार राज्य की। एक जमाना था आजादी के पहले जब बिहार सारे देश में जितनी चीनी का उत्पादन होता था उसका 48 परसेंट पैदा करता था। अभी बिहार केवल मात्र 5 परसेंट पैदा करता है। यही कांग्रेस सरकार की देन है इस सैंतीस वर्ष की अवधि में। हमारे यहां जितनी मिलें हैं उनमें से तीन मिलें तो बिलकुल

[श्री चतुरानन मिश्र]

बंद हो चुकी है जिनको चलाने का कोई इंतजाम नहीं हो सकता। 10 मिलें बीमार हैं और सरकार ने उनको ले लिया है और उन को बिहार शुगर कारपोरेशन चला रहा है। उसमें 15 करोड़ रुपये की कुल पूंजी दी गयी थी और 7 वर्ष के अंदर 30 करोड़ का उसने घाटा दिया। 15 करोड़ की पूंजी और 30 करोड़ का घाटा। यह पब्लिक सेक्टर शासक पार्टी के भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और हमारे भ्रष्ट अफसरान का चारागाह बन गया है। इससे जब तक उद्धार नहीं होगा तब तक उसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं हो सकती। मैं इस लिये भी यह बात कहना चाहता हूं कि साल में किसानों को आप आधी कीमत भी नहीं देते हैं। मिलों पर किसानों का इस वर्ष भी 48 करोड़ रुपया बाकी है। मजदूरों को एक पैसा भी अगर हम तनख्वाह न दें तो भी यह मिलें प्राफिट में नहीं चल सकतीं। बिहार शुगर कारपोरेशन को हमने आफर दिया कि हम एक साल फ्री काम करते हैं। क्या आप इनको प्राफिट में चलायेंगे। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता क्योंकि उन का बजट का घाटा मजदूरों के टोटल वेज से ज्यादा का होता है। ऐसी भयानक स्थिति हो गई है। तो नतीजा यह हो गया है कि आप किसानों को दाम नही देते और किसान अब गन्ने की खेती नहीं करते। ठीक ही कहा हमारे मित्र कल्पनाथ जी ने कि एक साल जब किसानों के गन्ने की कीमत बढ़ाई गई थी तो किसानों ने बहुत ज्यादा गन्ना पैदा कर दिया और भारत उस वर्ष सर्वप्रथम था विश्व में चीनी के उत्पादन में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ईख की कीमत घटाने से किसानों पर चोट पडी और हमारे बिहार में जहां गन्ना 1 लाख 35 हजार हैक्टेयर में होता था अब 1 लाख 31 हजार हैक्टेयर से भी कम में होने लगा है। यहां बेसिक पालिसी में परिवर्तन लाने की जरूरत है जिसकी ओर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये मिलें बहुत पुरानी है ये कोयला भी नहीं बगाह जलाती है, लकड़ी जलाती हैं तो 21वीं सदी में आप बगाह और लकड़ी लेकर प्रवेश करना चाहते हैं। आपने इनको ले भी लिया तो उनका माडर्नाईजेशन नहीं किया। उनकी रिकवरी 9 परसेंट से भी कम है, आम तौर पर 7–8 परसेंट है। अतः उनका माडर्नाइजेशन होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो उत्पादन की लागत किसानों को ईख की कीमत, मजदूरी का भाग उचित नहीं है। शुगर इंडस्ट्री में मजदूरी कम है अन्य उद्योगों के मुकाबले। फिर भी कास्ट प्राइस मिलों के अन्दर बहुत ज्यादा है भष्टाचार और कुप्रबन्ध इतना ज्यादा है कि सरकारी मिलों का लागत खर्च बहुत ज्यादा है और उसके अनुसार प्राइवेट क्षेत्र मूल्य वह तय करवा लेते है और इस तरह से सारे देश को लूटते है। एक शैल्टर्ड मार्केट आप चीनी मिल पतियों को दिये हुए है जिसमे ऐसी स्थिति आ गई है कि सारे देश की लूट हो रही है।

इसी सदन में अभी एक मित्र ने छोआ का कितना दाम रखा गया है और उसके जरिये कितनी लूट होती है, बताया। मैं उससे सहमत हूं और उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह विषय है जिस पर तुरन्त विचार करना चाहिये।

हमारे बिहार में गन्ने की उत्पादकता घट गई है। अखिल भारतीय स्तर पर जो एक हैक्टेयर के अन्दर 52.2 मीट्रिक टन गन्ना होता है, वहां बिहार में 32 मीट्रिक टन होता है। आप खेतो के लिये उनको पैसा नहीं दे पाते है। इससे यह कहा जाने लगा है कि उत्तर भारत में चीनी का व्यवसाय सही ढंग से नहीं हो सकता है, यह विचारधारा आज फैली हुई है। मैं दक्षिण के खिलाफ नहीं हूं, वहां भी उद्योगों का प्रसार होना चाहिये, लेकिन इस संबंध में जो सरकारी कमेटी बनी थी उसका उद्धरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी मिलें 30 से 40 परसेंट कैपेसिटी पर काम कर रही है। जो क्षमता का 30–40 परसेंट काम करेगी वह लाभ नहीं दे सकतीं। इसलिये सेन कमेटी आन शुगर का यह उद्धरण में पढकर सुनाना चाहता हूं:—

"With suitable policy and its proper execution up to the field level, U.P. and Bihar should be able to achieve substantial results in their programmes of sugarcane development and in turn the development of this agriculture-based industry."

इसमें आगे कहा गया है --

"It has been found by the research stations located in this sub-tropical area area that with adequate application of inputs and proper care, the yields per acre can be doubled in this belt.

इसका अर्थ यह है कि हम उत्पादकता को दुगना बढ़ा सकते है। इसी संबंध में जो टेरिफ कमीशन की रिपोर्ट है 1969 की उसका उद्धरण भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं --

"The disparity in the yields between the sub-tropical and tropical regions is evened out to a certain extent by the fact that in addition to larger inputs the longer maturity period in the tropical regions requires as much as twice the area with half of its under-lapping cane crop. It cannot, therefore, be concluded that the tropical belt is more suitable than the sub-tropical one for the production of cane."

इस संबंध में सेन कमीशन ने यह भी कहा है कि सरकारी मदद की जरूरत है।

"State intervention and support have played a significant role in promoting sugar cultivation in the tropical belt. In the first place, the sugar factories in this belt were not subjected for a number of years initially to fixation of either sugar prices of minimum sugarcane prices in contrast to the situation in the subtropical belt; and

Secondly, considerable trade advantage that it enjoyed when this belt was obtaining sugar from the sub-tropical belt has enabled the promoters to establish new factories, and to expand the capacities of the existing ones. The States in the tropical belt did not levy cess on purchase of sugar by the factories.

यह कारण है जिससे उत्तर भारत का यह उद्योग अधोगति में गया। उसको इस कगार पर आपकी सरकार ने, आपके शासन ने पहुंचाया है। इसके लिये तत्कालीन मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने जो लोक सभा में कहा था उसको भी उद्धृत करके समाप्त करना चाहूंगा :

"While the controlled ex-factory price of sugar fixed by the Government in the North is nearly equal to the cost price of sugar plus margin as determined according to the wishes of the Tariff Commission and the authorised cane price and estimate of duration and recovery for the season 1963-64, I am bringing it during the current period the prices fixed in Maharashtra and the South higher than the ex-factory calculations including the return permissible under the Tariff Commissions recommendations".

मैं इन बातों की चर्चा इसलिये कर रहा हूं कि सरकार ने जो यह धारणा फैलाई हुई है कि सिर्फ मैनेजिरियल पालिसी ठीक करने से काम ठीक हो सकेगा, यह उद्योग सही चलने लगेगा, यह बात नहीं है। मैं इसके पक्ष में हूं। मैंने पहले कहा था कि मैनेजिरियल इम्प्रूवमेंट करने की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई है। पालिसी इम्प्रूवमेंट एसेनशियल है जिसके बिना देश का उद्धार नहीं हो सकता, उद्योग का भी उद्धार नहीं हो सकता। जो कोई कल्पना करता हो कि हम 21वीं शताब्दी में तैयारी करेंगे उनको तो कम से कम यह धारणा छोड़ देनी चाहिये कि प्राइवेट सेक्टर को वह 21वीं शताब्दी में ले जायेंगे। सारी कोशिश करके भी 21वीं शताब्दी में पूंजीवाद नहीं रह सकेगा, नहीं रहने दिया जायेगा।

SHRI S. W. DHABE (Mharashtra) : Mr. Vice-Chairman, I do not understand the signficance of this Bill which seeks to extend by one year the taking over of the sugar industry from 6 to 7 years. If the idea is to return the mills to the original owners, whose mismanagement has resulted in their taking over, after huge investments are made, then it is totally wrong and it will simply be giving encouragement to mismanagement of these mills by the private owners. Therefore as provided under the Industries (Development and Regulation) Act, and as has

[Shri S. W. Dhabe]

been done in the case of textile mills. Government should make up its mind to run these mills, whichever have been taken over, by establishing a Sugar Corporation at the national level. It is not like a hospital that the Government returns the child when it is healthy.

Therefore this extension by one year of the period of take-over is not desirable and is against the interests of the country and development of the sugar industry.

Secondly, I want to know from the Minister that Government has declared the "no industry district" policy. This policy has been declared in some 80 districts which exclude Maharashtra and the South except one district from Karnataka. In reply to a question the Commerce Ministry has stated that this policy of "no industries district" applies not only to the private industries but to public sector and cooperative sector also. I come from Maharashtra where there are a large number of sugar factories, where there is an intention to expand and where the sugar industry has changed the face of rural Maharashtra. Many people are interested in Vidarbha and Marathwada to have more sugar factories in the cooperative sector established in these areas. I would like to know from the Minister whether the policy of "no industry district" will be applicable to cooperative sugar factories which are intended to be established by the cultivators in Maharashtra in future, especially in Marathwada and Vidarbha areas. Though the sugar industry has changed the face of the country in Maharashtra and other places and people have benefited by it, specially the cultivators, as benefits have not percolated to the working class. The working classes have not been given, what is called,, a just share in the profits or fruits of the industry. The workers' plight is still pitiable. It is called a seasonal industry. The workers are paid seasonal wages and some retention wages are paid under the Sugar Wage Board award. But the shareholders of these mills are mainly cultivators. When the Government is pleading for workers' participation in management, I would like to know from the Minister whether he will extend this principle to the cooperative sugar factories so that the workers who are working in those factories can become shareholders and co-owners of these undertakings along with the cultivators who are shareholders. Up till now workers are kept out of the cooperative movement and sugar factories are owned only by the shareholders who are cultivators. Therefore, for better management it is very essential that the workers also made shareholders in those factories so that they can also participate in their management.

One more question, which my hon. friend has raised, is very important—and that is about recovery. In some parts of Maharashtra the rate of recovery is higher than at many other places. I would like the honourable Minister to state whether any research cell has been set up by his Ministry to improve recovery in the sugar industry because, if the rate of recovery is improved then there can be a bigger amount of production. Therefore, when we are facing the question of improving the sugar industry, this Bill which only wants to extend the period by one year is not a desirable piece of legislation.

I would plead with the Minister to take over the sugar mills completely and nationalise them so that this problem of taking one or two years is solved once for all.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : माननीय वाइस-चेयरमैन महोदय, जो यह शुगर अन्डरटेकिंग्ज (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेन्ट) एमेंन्डमेन्ट बिल, 1985 हमारे सामने पेश किया गया है, इसका मतलब बहुत लिमिटेड है। सेक्शन 3 में एक साल बढ़ाने की एमेन्डमेन्ट दी गई है। यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि इस सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे इस समस्या को हमेशा के लिए हल किया जाता और यह सरकार किसानों और शुगरकेन पैदा करने वालों के फायदा के लिए कोई निश्चित बनाने के बारे में क्यों नही सोचती है? मैं पूछना चाहता हूं कि एक साल बढ़ाने से क्या फायदा होने वाला है? मैनेजमेन्ट को और किसानों को इससे क्या फायदा होने वाला है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। बेहतर तो यही होता कि सरकार कोई

ऐसी नीति बनाती जिसमे शुगरकेन उगाने वाले किसानों को कोई फायदा होता। अभी हालत यह है कि जो किसान शुगरकेन उगाते हैं उनको कोई फायदा नही होता है। सरकार जो रेम्यूनेरेटिव प्राइस मुकर्रर करती है वह ठीक ढंग से मुकर्रर नहीं होते हैं। किसान बहुत परेशान है। कारखाने जो माल पैदा करते हैं उसका दाम खुद मुकर्रर करते हैं। शुगर मिलों के जो मैनेजमेन्टस है वे भी किसानों को कोई फायदा नही पहुंचाते हैं। इसलिए किसान बहुत दिक्कत और परेशानी में हैं। सरकार को किसानों की परेशानियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और किसानों के मसायल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए कदम उठाने चाहिए। होना तो यह चाहिए कि जितनी भी शुगर मिलें हैं या शुगर क्रशिंग मिलें है उन सब को सरकार अपने अधीन कर ले, उनका नेशनलाइजेशन किया जाय ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस तरह से हर साल वक्त बढ़ाने से किसानों को कोई फायदा होने वाला नही है। किसानों को अगर कोई सहूलियत दी भी जाती है तो वह थोड़ी देर के लिए दी जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि किसानों को हमेशा के लिए सहूलियतें मिलनी चाहिए। किसान अपने खेत में जो कुछ पैदा करता है उसके दाम सरकार मुकर्रर करती है। उसके दाम भी वह खुद मुकर्रर नहीं करता है। इसके विपरीत मार्केट में उसको जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं उनके दाम कारखानेदार मुकर्रर करते है। किसानों का मुकर्रर नहीं कर सके यह दुख की बात है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जो कि किसानों के दोस्त माने जाते हैं, किसानों के हमदर्द माने जाते हैं, जो कि किसानों के मसायल से वाकिफ हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इन किसानों के लिये और खासकर गन्ना उगाने वाले किसानों को राहत देने के लिये ऐसे कदम उठायें जिससे वे आगे बढ सकें और किसान उत्साह के साथ अपना काम कर सकें।

श्री **अश्विनी कुमार** (बिहार) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो आर्डिनेन्स के रूप में आया, इसके ऊपर सदन के अन्दर सभी माननीय सदस्यों ने आज जो देश के अन्दर चीनी मिलों की समस्या है, गन्ना उगाने वाले किसानों की समस्या है, इन बातों पर अपने विचार रखे हैं। वैसे तो पहले भी मैंने निवेदन किया था कि यह एक वर्ष के लिये बढ़ाने की बात है, परन्तु यह एक अवसर है, जिस समय हमारे विद्वान और किसान खाद्य मंत्री कुछ बातों का ध्यान रख सकें। इसलिये ये सारे विषय रखे जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि हम गन्ना उपजाने वाले किसानों को दाम देने की चिन्ता कर रहे हैं। चिंता करना सही है। परन्तु इसको करने के लिये मिलें ठीक से चलें, मिलें उनको उचित दाम दें, इसलिए ये सारे विषय चले हैं। इसके लिये सरकार ने जो काम किया है उसके बारे मे उत्तर में आया है कि :

> "Ensuring payment of cane price dues is the direct responsibility of the State Governments who have the necessary field organisations and powers to enforce such payments. However, the Central Government has, on its part, taken steps aimed at improving the liquidity of the industry to enable it to pay the cane price. These steps include the liberalisation of bank credit facilities, maintenance of buffer stocks against which 100 per cent bank credit is available and judicious monthly releases of free-sale sugar to maintain a reasonable level of sugar prices."

यह लोक सभा के अन्दर 30-7-84 को उत्तर दिया गया है। बहुत अच्छा है। अच्छा चलना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं कि मिल-मालिकों को भी आप सुविधा दें और किसानों को भी सुविधा पहुंचायें यह भी बहुत अच्छी बात है। परन्तु ये सुविधायें किसानों को पहुंच रही हैं या नहीं पहुंचा रही हैं यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जो बकाया राशि कल सामने रखी गई उससे लगता है कि बकाया राशि बढ़ रही है। कहीं यह पांच-पांच सालों से है। बिहार का उदाहरण अभी हमारे मित्र श्री चतुरानन मिश्र ने दिया। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। वहां चीनी मिलों की हालत बहुत खराब है, गन्ना उगाने वाले किसानों की हालत बहुत खराब है। इसके लिये आप क्या सोच रहे हैं?

[श्री अश्विनी कुमार]

मैं आपका ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहूंगा। इस सारी स्थिति में क्या हो रहा है कि गन्ने की फसल, केन कल्टीवेशन के अन्दर जितना एरिया है वह बढ़ नही रहा है। आपने जो आंकड़े दिय हैं उनमे 1981-82 में 3193 हजार हेक्टेयर, 1982-83 में थोड़ा सा बढ़कर 3201 हजार हेक्टेयर एरिया हो गया और पुन: 1983-84 में 3171 हजार हेक्टेयर हो गया। एरिया स्टेगनेट है। जो गन्ना पैदा करते है वही इसको करते है और लोग इधर नहीं आ रहे हैं, उसका एरिया नहीं बढ़ रहा है। जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से इसका एकरेज बढ़ना चाहिए। इसके लिये किसानों को सुविधा देना नितान्त आवश्यक है। लेकिन आज गन्ना उगाने वाले किसानों को क्या-क्या असुविधायें हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज बिहार के अन्दर फर्टिलाइजर की इतनी कमी है कि ब्लैकमार्केट में वह दुगने दामों पर बिक रहा है। विस्कोमान का कहना है कि गुड्स ट्रेन नहीं मिलती है। जहां फर्टिलाइजर मिलता है तो जो वह फर्टिलाइजर होता है उसमें चूना मिला होता है, नमक मिला होता है। ये इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। किसानों की दृष्टि से उनको कोई सुविधा नही मिल रही है। इसमें किसानों को बहुत बड़ी हानि हो रही है। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि ठंड पड़े या गर्मी पड़े, ठंड सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, काश्मीर में पड़ती है लेकिन मरता बिहार का आदमी है। वहां 500 आदमी मर चुके हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहां का किसान गरीब है, वहां गरीबी है और वहां के किसान, मजदूर गांवों में मर रहे है। जहां माइनस टेम्परेचर है वहां लोग नही मर रहे हैं लेकिन जहां टेम्परेचर ऊपर है वहां लोग मर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वहां किसानों की हालत बहुत खराब है और उनको दो जून भर पेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। गर्मी आती है तो गर्मी में मरते हैं, सर्दी आती है तो सर्दी में मरते हैं। इसलिये किसानों की दशा सुधारने के लिये, गरीबों की दशा सुधारने के लिये मै आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस दिशा मै कोई कदम उठाएं। मेरे मित्र बाबुल रेड्डी ने आन्ध्र में किस प्रकार से प्राईसिंग हुई थी इसकी और आपके सामने उदाहरण पेश किया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं परन्तु मै यह निश्चित निवेदन करना चाहूंगा किसानों को सुविधा देने की व्यवस्था करें। मैं इसलिए इतना कहना चाहूंगा कि सारे देश का नक्शा आप उठा कर देखें जहा-जहां किसान सम्पन्न हो गया है वह राज्य सम्पन्न है वहां इंडस्ट्रीज फैल रही है और लोग वहां पर जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पंजाब और हरियाणा में आप देखें, हरियाणा आपका प्रान्त है आपके प्रान्त में खेती अच्छी हुई तो हमारे प्रान्त के सैंकड़ों हजारों मजदूर हर साल फसल काटने के लिए वहां जाते हैं क्योंकि आपके यहां मजदूर नही मिलते। आपने जो अपने प्रान्त मे किया केन्द्र में आप बैठ हैं देश के सारे किसानों को सुविधाएं प्रदान कर के उधर ले जाना शुरू करें।

6 P.M.

जो इसके बाई-प्रोडक्ट्स हैं जैसे मो लेसेज का उदाहरण दिया गया इससे बहुत पैसा मिलता है यह सारी कमाई अलकोहल फैक्टरियों को जाती है इसका कुछ हिस्सा किसानों को दें। यह मेरा आपसे निवेदन है। अभी जो बकाया है उसके विषय में बड़ा स्पष्ट उत्तर चाहूंगा। आपने अभी जो कानून में प्रावधान कर रखा है कि यदि 14 दिन से ज्यादा बकाया हो जाए तो उसके ऊपर सूद दिया जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि आज तक किस किस मिल ने कब-कब किसानों को कितना-कितना सूद दिया है या यह किताब में है और आज तक किसी को नहीं दिया गया है। यह मैं आपसे स्पष्ट उत्तर चाहूंगा। अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज शुगर इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर हैं, कोआपरेटिव सेक्टर है, तीनों की धांधलियां हमारे सामने आई हैं इसी सदन में इसी बहस के अन्दर आई है प्राइवेट सेक्टर काम नही कर रहा है कोआपरेटिव सेक्टर भी काम नही कर रहा है, इनमें जितनी धांधलियां है मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि देश को समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए इन सब के बारे में एक कम्प्रेहेंसिव साइंटिफिक आधार पर नयी नीति बनानी पड़ेगी। आज जो

भी नीतियां हैं असफल रही है। पब्लिक सेक्टर एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चलता है। करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति लगी हुई है, लास पर लास जा रहा है यह हमारे लिए, आपके लिए और देश के लिए घातक है। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से जो आपकी सरकार आई हैं बहुत से उन्होंने नये-नये वायदे किए है मैं चाहूंगा कि इस दिशा में प्राइवेट सेक्टर कैसे चले, पब्लिक सेक्टर कैसे चले, कोआपरेटिव सेक्टर कैसे चले, तीनों में समन्वय कैसे हो, प्रोडक्शन कैसे बढ़े, प्रोफिटेबिलिटी कैसे बढ़े और देश की जनता को उसका लाभ मिले। आज जो लाभ प्राइवेट सेक्टर में पूंजीपतियों को, पब्लिक सेक्टर में कुछ ब्यूरोक्रेट्स को जा रहा है वह छन कर गरीब जनता तक आए इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप विचार करें। अंत में यह कहना चाहूंगा कि इस बिल के द्वारा जो एक साल के लिए आप बढ़ा रहे हैं तो आप इन फैक्टरियों में क्या-क्या कदम उठाएंगे जिनसे यह फैक्टरियां एक साल में पूर्णतया स्वस्थ्य हो जाएं और उसके बाद आप अगला निर्णय कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Now the Minister will reply.

THE MINSTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a very simple measure asking for extension of the period of take-over of the management of already taken over mills which are eight in number, by only one year. I am grateful to the House that all sections have supported the Bill. Nobody who had participated in the debate has opposed the measure and asked for giving back the mills to the owners immediately. The question before the House is whether the Government should extend the period with the approval of this House for the one year more to try and see how the mills should be returned to the owners. What effect it will have on the question of recovery of amounts spent by our Government. That comes to about Rs. 36 crores. More than Rs. 26 crores is the loan given to the mills for payment of dues, for meeting the wage bills, and just over Rs. 10 crores is the interest that has accrued. I must frankly admit that Government is in a dilemma over this matter. The question is whether the mills should be returned to the owners and if so, under what conditions. How is the money that the Government has spent is to be recovered? If the mills are returned, how can it be ensured that they will run and they will not be allowed to go sick again? The Act was passed to protect the farmers in certain areas and to protect the workers. And it was the previous Government in 1978 that made a mess of the whole sugar policy of the country. Without ensuring that there would be sufficient stock in hand before sugar was decontrolled, they took the decision to decontrol sugar in August 1978 and soon after that, all the stocks with the Government, which were quite big from the time of Mrs. Gandhi's previous Government, disappeared. Sugar disappeared in the market. They had to resort to control again and that same policy which the previous Government of the Congress had been running successfully, was again implemented. Some hon. Members have raised the question of decontrol of sugar. Others have objected to it. They have advocated that the control should continue. Now we have been successfully following this policy of partial control. Sixty-five per cent of sugar is taken over by the Government at a fixed price to help the consumers and to check the prices in the free market. Thirty-five per cent is left for the manufacturers of sugar, for the mills, so that they can make up for the losses, if any, by sale of the sugar in the free market. But we tried to check and regulate the price in the free market also by a mechanism of monthly releases of the sugar quota for the free market. This is the policy.

Some hon. Members have confined themselves to the Bill and have given very good suggestions. I have taken note of what they have said. They have pointed out corruption in the taken-over mills. They have drawn my attention to the losses that they are incurring. I admit that all these eight mills we have not been able to nurse back to health because we have not been able to modernise them. The question before us always was that

[Rao Birendra Singh]

in due course of time they shall have to be returned to the owners and it is the responsibility of the owners to modernise them. We have provided a Sugar Development Fund for the purpose. They can obtain loans from Government institutions to modernise the mills, if they like. I am not quite happy with the management of these mills. I have no hesitation in saying so. Complaints had been received even earlier when I was in charge of the Department from 1980 to 1982 or 1983. We had started some enquiries also. Some cases have been entrusted to the Central Vigilance Commission also. Shri Virendra Verma mentioned the case of Lhaksar Sugar Mills, some other mills, Raja ka Sahaspur or some other factory also. I remember that there were complaints about these mills and enquiries were ordered. I will find out the result of those enquiries. It is a fact that we have not yet been able to find good persons to be appointed as custodians. We had been asking the State Governments to give us on loan some good officers to look after these mills. Every custodian that has been appointed in any of these mills has been on the recommendation of the State Government because we want to involve the State Government also. It is their responsibility to look after the welfare of the farmers and the workers in the mills. If there are any suggestions from the honourable Members of the State Governments and they want to suggest some names of good people, experienced people, who can run these mills efficiently, I shall be very happy to take advantage of their suggestions and recommendations. As it is, now, all that I can do is to take action against inefficient or corrupt people if complaints are brought to my notice. Whatever has earlier come to the Government's notice shall be pursued and I hope we shall be able to take effective action. It is a fact that all these mills during this period of six years, though two or three of them showed profits, small profits, once or twice during this period, are all running into huge losses. But the object of the Bill, the Act, which was in view has, to my mind, been achieved. All the arrears for sugarcane have been cleared. There is nothing outstanding. All the wages to workers have been paid in these mills. Questions have been raised about heavy arrears in many other sugar mills. I understand that the percentage of arrears has come down substantially during the last few years. For this season I have no figures, but the season is on and we shall ensure that the mills pay the price of the sugarcane to the farmers in time. One specific question asked by many honourable Members—Shri Ramanandji, Shri Virendra Verma, Shri Dhabe, Shri Shantiji and several other honourable Memebrs—was whether interest has been paid. I again have to admit that the Government, whether at the Centre or in the States, is primarily concerned with the clearance of arrears; the price has first to be paid, the workers have to be paid and the question of paying interest for the overdue period of fourteen days is a secondary thing. I am not able to say that anything has been paid towards interest for the previous period during which cane prices were not paid to the farmers. But even the payment of all the arrears for the past five to six years is a big relief to the farmers and to the workers.

Some general questions of policy have been raised. This Government does not favour controls unless necessary in the interests of the consumer. But for decontrol, as I said earlier, it is necessary that huge buffer stocks are first built up and then we decontrol sugar so that after that there is no going back on the policy and there is a free market and the prices are contolled at a reasonable level. It might take time. I realise that there is need for a long-term sugar policy in this country. Fluctuations in production are very wide and that needs to be looked into. I hope we shall be able to do something about it. Sometimes the farmers grow so much of sugarcane that there is a glut. There was a glut earlier in 1977-78 on top of that the previous Government decontrolled sugar. Again durig 1981-82 and 1982-83 there was glut of sugar. We did not know what to do with it because keeping stocks also cost money to the Government. We took a decision to have buffer-stock and we tried to export sugar, but international prices were very low and cost of production in India, compared to

other countries, is very high. These are some of the matters which need to be looked into by the Government at various levels. I hope that in future we shall be able to evolve a policy for sugar so that we not only stabilise our production, but also we become self-reliant in the matter of sugar and we do not have to import it. At the same time we will ensure that farmer gets remunerative price and the industry is also maintained in good health. The interests of industry and those of farmers cannot be separated altogether. The farmers have to depend upon the industry. It crushes their cane and pay them good prices and in time. The trouble arises when mills are not able to start in time and they do not crush the cane and the farmers do not know what to do with the sugarcane. We have to look after from both sides. We have been trying to help the industry through this Act, We have been giving them large amounts of money as loans. Within the next one year we shall try and see how we can ensure that the money advanced by the Government is recovered and the owners, before taking over their mills, undertake to modernise the industry and maintains it in good health so that the mills do not go sick again. All these are in our minds.

Some friends talked about sugar licensing policy. We have already taken a decision that cooperatives will be given preference. Mr. Dhabe said that Vidharbha and Marathwada regions are not getting sufficient number of licences. But since 1983 most licences have gone to these regions—5 in Vidarbha and 5 in Marathwada. With regard to not giving licences for districts which have industries, we have been confining them only to no-industry and backward districts and this policy will be in force till the end of September this year. Thereafter we shall take a new policy decision. Then we can see whether areas where enough sugarcane is grown can also get some sugar factories.

There is not much else which needs to be mentioned because I am aware of the constraints of time and I know other measures have also to be placed before the House today.

I am really unhappy about the delay in audit as pointed out by some hon'ble Members. I shall see that audit takes place at the earliest.

SHRI VIRENDRA VERMA: But by the C and AG.

RAO BIRENDRA SINGH: These auditors also have been appointed on the recommendation of the C&AG. The C&AG would not be prepared to take up this audit work on themselves. It is because most of these are co-operatives or private mills and they only probably look after the public sector undertakings where the Government money is directly involved. But all these auditors are appointed on the recommendation of the CAG. But there is no reason why there should be so much delay. Some audit reports have not been completed even for the year 1980-81 or 1981-82 and that is where it can be suspected that the Custodians in charge of those mills are not so efficient, and probably, we shall have to take some action if things do not improve.

Now, there is a demand for nationalisation. Some honourable Members have said that this temporary take-over of management will not serve any purpose. I agree with that. But then we have our own difficulties. We cannot look after these mills in distant corners of the country from Delhi. Some friends have even objected to the Monitoring Cell in the Ministry. Unless we have sufficient staff here, we cannot look after these mills and even if we have all the staff that we need in Delhi, you know, whether it is a field or a factory, unless there is proper management on the spot, it is not possible to look after the industry or agriculture, and the Government employees sitting in Delhi cannot be expected to exercise full control and supervision over the mills in far off places spread all over the country—five mills in UP in different places, one in Rajasthan, one in Tamil Nadu and one in Maharashtra. Therefore, it is not possible for the Centra Government to think of nationalising these units. I hope the honourable Members them-

[Rao Birendra Singh]

selves know that our experience with the public sector undertakings is not very happy either. So, Sir, burdening ourselves with all these sick units and more and more sick units as are mentioned by the honourable Members—so many in Bihar, so many in U.P., may be many more in Maharashtra and M.P. and other places, many more sick units which deserve to be taken over—is not possible. But we look to the States to fulfil their responsibilities also. They can take over the mills even temporarily or they can even nationalise them. Some States have already taken over some mills like in Bihar and U.P. and we try and help them. In fact, we want to encourage the States. We have even been asking the States concerned to take over these mills from the Centre so that we do not have to return them to the owners. But there is no response from the States. They also don't want to do this. Now, for the Central Government to indefinitely continue with these mills is a very big problem which, I hope, the honourable Members will appreciate. But then, for the time being, we are only asking just for one more year so that we can think as to what is to be done and then, if possible, we might return some good mills, we might bind the owners within a timeframe to give an undertaking to modernise these mills with financial assistance from the Central Government and other financial institutions, and we hope that something will come out of our efforts. But, for the time being, if this Bill is not passed by this House, all these mills will automatically return to the owners and the Government will not be responsible to look after the interests of the farmers or of the workers who might get unemployed and there might be many more problems for the farmers and the employees in those areas.

With these words Sir, I request the House to approve of this Bill. Thank you, Sir

श्री अश्विनी कुमार: मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने कहा कि शुगरकेन के एरियर्स घट रहे हैं। कल मैंने आपके 30 जुलाई, 1984 के प्रश्न 1180 के आंकड़े दिये थे, उसमें आपने कहा कि 81–82 और पूर्व के वर्षों में एरियर 6 करोड़ के लगभग थे 82–83 में वह 13 करोड़ हो गए, 83–84 में 110 करोड़ हो गए और 30 जून, 1984 को 1090 करोड़ थे। यह आपके आंकड़े है। आपके आंकड़ों और दोनों भाषणों मे कैसे समन्वय है, यह मैं समझना चाहता हूं।

RAO BIRENDRA SINGH: These must be the figures for the entire country. We are only talking of take-over of 8 mills here. I have said that all arrears have been cleared and there is nothing outstanding

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Now, I would put the Resolution to vote. The question is:

"That this House disapproves of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Amendment Ordinance, 1984 (No. 14 of 1984) promulgated by the President on the 20th November, 1984."

The motion was negatived

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: The question is:

"That the Bill further to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978, be taken into consideration."

The motion was adopted .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Caluse 2. There is one amendment. The hon. Member is not there. Not moved. The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted .

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): I have to inform Members that the Special Mentions permitted today will be taken up tomorrow. Now there will be reply to the Calling Attention by the Minister.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The Situation in Sri Lanka with special Reference to recent intrusion into Indian territorial waters and attack on Indian Fishermen by Sri Lanka Naval Vessels—contd.

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: Mr. Vice Chairman, Sir, at the outset, I would like to share the deep concern expressed by the hon. Members, and I know that this problem has very wide ramifications and repercussions in this country. Naturally, because we have very close relations with the Tamils of Sri Lanka and whatever happens there affects this country particularly.

(The Vice Chairman (Shri Syed Rahmat Ali,) in the Chair.)

I would, however, like to mention that we have taken up this matter very seriously, and it has been taken up at the U.N. level. I has also been taken up in the Special Commission on the Prevention of Discrimination and Protection to the Minorities as well as the Human Rights Commission, and we will continue to follow up this matter with the same vigour and seriousness, in order to ensure a political solution of the problem of Tamils in Sri Lanka and also to ensure that over 40,000 refugees who are now in this country as refugees go back with honour, dignity and safety to their country.

Sir, it is a very delicate question. Therefore, I would like to say that while discussing this question we have not to be very emotional. No doubt, I can understand the emotions of the people. But certainly such questions cannot be resolved by emotion, anger or by military actions. These matters have to be necessarily decided by political solutions and we are pursuing this matter accordingly.

A lot of anxiety has been expressed about the safety and protection of our fishermen. I would like to assure the hon. Members that our Coast Guard have been asked to intensify their patrolling and our Navy has also been alerted. All possible steps have already been taken. Further steps will be taken, if necessary, to ensure the safety of life and property of our fishermen.

SHRI S. W. DHABE: How many have been killed?

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: Three fishermen have been killed for which we have lodged not only a strong protest to the Sri Lankan Government, but have also asked them to pay compensation for the lives lost. Sir, it is a fact that violence breeds violence. Therefore, the solution can only be a political one through negotiations. That was the reason that this country and our Prime Minister offered our good offices to Sri Lankan Government which were accepted by them. As a result of these good offices, the All Party Conference was convened. Unfortunately, the All-Party Conference failed to arrive at any decision and it was abruptly disbanded in December, 1984, which we feel is very disappointing. That was the forum where a political solution could have taken arrived at for this very ticklish problem.

Sir, we have not encouraged any kind of terrorism and at no time even the Sri Lankan Government has been able to pinpoint the responsibility for any terrorism which has been encouraged or which has emanated from this country. In fact, we discourage violence and not only discourage it, but we also want to see that violation is not used in any part of the